

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2017—फाल्गुन 26, शक 1938

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. ई-1-56-2017-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 1 जिसके द्वारा श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा पदेन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समक्ष घोषित करता है.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 2, जिसके द्वारा श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 के पद 2 के अनुक्रम में अब श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अतिरिक्त प्रभार), केवल आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बंसत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्र. एफ-5-07-2016-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. सेठ, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 11 से 20 जनवरी 2017.	दस	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. के. कातिया, अपर सचिव.**

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. ई-5-1024-आयएस-लीव-5-एक.—श्री रमेश भण्डारी, आयएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. ई-5-863-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2010) संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**फजल मोहम्मद, अपर सचिव "कार्मिक".**

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2017

क्र. एफ 1-119-2016-ब-2-दो.—श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक रेल, इंदौर, वर्तमान में पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2016 तक चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में रेयांग बीच (थाईलैण्ड) में उनके मित्र की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की कार्योंत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने का पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

क्र. एफ 1-23-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2017 द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय,

भोपाल द्वारा दिनांक 6-11 फरवरी 2017 को लंदन (U.K.) में आयोजित "Sheffield Hallam University" में आयोजित स्टडी टूर में सम्मिलित होने के उपरांत दिनांक 13 से 16 फरवरी 2017 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 12 फरवरी 2017 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2017 का एक्स-इंडिया अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 14 से 16 फरवरी 2017 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है। आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ 1 (ए) 92-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. बी. शर्मा, भा. पु. से., पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल, को दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2017 तक बारह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 फरवरी एवं 11, 12 मार्च 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., के अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. रमन सिंह सिकरवार, भा. पु. से. पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. बी. शर्मा, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु. भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है किह्य यदि श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2017

क्र. एफ 1(ए) 128-90-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 के अनुक्रम में श्री शैलेश सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सीरीयस फ्राड्स, आरबीआई, मुख्यालय, मुम्बई को दिनांक 28 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ पूर्व स्वीकृत अवकाश अवधि में श्री सिंह, भापुसे को खण्डवर्ष-2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 के विस्तार वर्ष 2017 में गृह नगर, की यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश

यात्रा के तहत भोपाल, जैसलमेर, जयपुर, दिल्ली एवं मुम्बई की परिवार के निम्न सदस्यों के साथ यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- |                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री शैलेश सिंह,    | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती सुनीता सिंह | - | पत्नी |

(2) उक्त पूर्व स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत श्री शैलेश सिंह, भापुसे, को 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो इनके अवकाश खाते से 10 दिवस घटाये जायेंगे।

(3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-939.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

क्र.	नाम एवं वर्तमान पद	62 वर्ष आयु पूर्ण करने की तिथि
1	श्री श्याम सुंदर गर्ग, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	19-01-2019
2	श्री योगेश कुमार सोनगरिया, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	03-02-2019

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब (एक) 942.—राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशांसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए सुश्री दिव्या चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2017

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 942.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए श्री कन्हैया जी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक) 941.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन द्वारा एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1) (बी) सहपठित नियम 8 (1) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी, आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करता है :-

1. श्री अयाज मोहम्मद
2. श्री ऋतुराज सिंह चौहान
3. श्री अजय सिंह ठाकुर
4. श्री केशव मणी सिंघल
5. श्री आलोक कुमार मिश्रा
6. श्री नरसिंह बघेल
7. श्री राजेश कुमार देवलिया

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 942.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए श्री कन्हैया जी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 944.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 4 फरवरी 2017 को मान्य करते हुए श्री अंशुमन धुन्ना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश का त्यागपत्र दिनांक 16 जनवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2017

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 942.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए, सुश्री दिव्या चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2017

फा. क्र. 3(ए)02-2017-इक्कीस-ब(एक)-510.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-

1. श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, उपसचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल.
2. श्री सुधीर मिश्रा, IC.J.CI-I & CJM, रायसेन
3. श्री यतिन्द्र कुमार गुरू, IC.J.CI-I & CJM, सीधी
4. श्रीमती दीपाली शर्मा, IC.J.CI-I & CJM, खण्डवा
5. श्री संजय कुमार गुप्ता, (Sr.), IC.J.CI-I & CJM, गुना.
6. श्री दीपक शर्मा, IC.J.CI-I & CJM, दमोह
7. श्री दिलीप गुप्ता, IC.J.CI-I & CJM, रीवा

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 60), राज्य शासन, सुश्री निधि शाक्यवार पिता श्री नरोत्तम दास शाक्यवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1989 है।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 41), राज्य शासन, सुश्री पूजा गोले पिता श्री राम प्रकाश गोले को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 54), राज्य शासन, श्री अनुराग सिंह सुमन पिता श्री चन्द्रपाल सुमन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 27 मई 1980 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 63), राज्य शासन, श्री संजीव पिपलादिया पिता श्री किशन पिपलादिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खण्डवा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 7 अगस्त, 1982 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 82), राज्य शासन, श्री अरूण सिंह अलावा पिता कालू सिंह अलावा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 मई, 1988 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**ए. एम. सक्सेना**, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017

फा. क्र. 1 अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के निम्नलिखित अधिवक्ताओं को जिन्हें विभाग के आदेश दिनांक 5 मई 2016 द्वारा लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान की गई थी, को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद पर शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 7 मार्च 2017 से तीन माह (दिनांक 6 जून 2017 तक) की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर पुनर्नियुक्त करता है:—

**महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर**  
**अतिरिक्त महाधिवक्ता**

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री पुरुषेन्द्र कौरव	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर.
2	श्री करमजीत सिंह वाधवा	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर.

**उप महाधिवक्ता पद हेतु**

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री संजय द्विदेदी	उप महाधिवक्ता
2	श्री समदर्शी तिवारी	उप महाधिवक्ता

**विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता**

1	श्री दिवेश जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री पुष्पेन्द्र यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री गिरीश कैकरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री स्वपनिल गांगुली	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5	श्रीमती शाहिन फातिमा	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री दीपक अवस्थी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8	श्री ब्रह्मदत्त सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
9	श्री व्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
10	श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
11	श्री अमित सेठ	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
12	श्री अजय प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
13	श्री अखिलेन्द्र सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
14	श्री पियूष धर्माधिकारी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
15	श्री आशीष आनन्द बर्नाड	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
16	श्री अजय शुक्ला	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
17	श्री प्रदीप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.

**उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता**

1	श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री सुरभि निगम	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री जाहानवी पंडित	उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**आर. के. वाणी**, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2017

फा. क्र. 935-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) को खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है.

F. No. 935-XXI-B (2).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Anushuman Singh, Advocate, Jabalpur as Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2017

फा. क्र. 882-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय के पत्र क्रमांक-45-2017, दिनांक 2 फरवरी 2017 तथा सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू. ओ. क्र. 28-17-1-10-2017, दिनांक 16 फरवरी 2017 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर में विचाराधीन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री करमजीत सिंह वाधवा, अधिवक्ता, जबलपुर को 55,000/- (पचपन हजार) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24-8 दं. प्र. संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. सोनी, अति. सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. 638-773-2015-ए-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य

शासन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर, जिला गुना वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4268, दिनांक 2 अप्रैल 2017 से, एमपी/4336, दिनांक 1 अप्रैल 2017 से, एमपी/4619, दिनांक 1 अप्रैल 2017 से, एमपी/4898, दिनांक 8 मई 2017 से, एमपी/4337, दिनांक 2 अप्रैल 2017 से, एमपी/4338, दिनांक 2 अप्रैल 2017 से, एमपी/3772, 10 अप्रैल 2017 से, एमपी/4572, दिनांक 9 अप्रैल 2017 से, एमपी/4897 दिनांक 9 अप्रैल 2017 से निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक के लिये छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. एफ 1 ए-06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-

## सारणी

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	श्री कैलाश प्रसाद मरकाम	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.
2	श्री राकेश कुमार सिंह	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2017

क्र. एफ 3-14-अठारह-5-2015.—एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के तहत खजुराहो विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.—

अधिनियम की धारा	पदनाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
17-क(1) की उपधारा	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	अ. नगर परिषद, खजुराहो	सदस्य
	अध्यक्ष	ब. नगर परिषद, राजनगर	
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, छतरपुर	सदस्य
ग	संसद सदस्य	संसदीय क्षेत्र खजुराहो	सदस्य
घ	विधायक	विधानसभा क्षेत्र राजनगर	सदस्य
ड	अध्यक्ष	खजुराहो पर्यटन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.	सदस्य
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, राजनगर	सदस्य
छ	सरपंच	ग्राम पंचायत, टिकुरी	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, बमीठा	
ज	1. प्रतिनिधि	कोसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया.	सदस्य
4.	प्रतिनिधि	जिला कलेक्टर, छतरपुर	सदस्य
5.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, छतरपुर	सदस्य
6.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छतरपुर.	सदस्य
7.	प्रतिनिधि	वन मंडलाधिकारी, वन मंडल, छतरपुर.	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर.	समिति का संयोजक

क्र. एफ 3-19-अठारह-5-2017.—एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अंतर्गत बैरसिया विकास योजना 2021 हेतु कलेक्टर एवं सचिव जिला योजना समिति भोपाल, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 244, दिनांक 23 जनवरी 2003 को निरस्त करते हुए बैरसिया विकास योजना 2031 निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा	पदनाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
17-क(1) की उपधारा	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	अ. नगरपालिका परिषद, बैरसिया.	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, भोपाल	सदस्य
ग	लोकसभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र, भोपाल	सदस्य
घ	विधायक	विधान सभा, बैरसिया	सदस्य
ड	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, बैरसिया	सदस्य
च	सरपंच	ग्राम पंचायत, खजूरिया रामदास.	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, मेघरा कला ग्राम पंचायत, सेमराकलां	
छ	1. प्रतिनिधि	कोसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया.	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया.	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	जिला कलेक्टर, भोपाल	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल.	लोक	सदस्य
7.	प्रतिनिधि वन मंडलाधिकारी, वन मंडल, भोपाल.	वन मंडल,	सदस्य
ज	समिति का संयुक्त संचालक, नगर तथा संयोजक. ग्राम निवेश, भोपाल.	समिति का संयोजक.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017

क्र. 2016-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड को "मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960" के विनियम चौदह में उल्लेखित अर्हता धारक व्यक्तियों की विनियम अठारह में उल्लेखित पाठ्यचर्या के भाग-एक एवं भाग-चार में मौखिक तथा व्यवहारिक परीक्षा लेने के उपरांत उन्हें शिरोपरि तारमिस्त्री (ओवरहेड वायरमैन) का परमिट जारी करने के लिये अधिकृत करता है. अर्हता का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा पाठ्यचर्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी उपरोक्त परमिट को विनियम 29 के उप विनियम (1) में उल्लेखित विद्युत् प्रतिस्थापन के कार्य करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

परिशिष्ट-1

**तारमिस्त्री की परीक्षा में प्रवेश संबंधी अर्हताएं.**—तारमिस्त्री की परीक्षा के लिये उम्मीदवार ने मध्यप्रदेश में विद्युत् ठेकेदार के अधीन कम से कम दो वर्ष तक तार लगाने (वायरिंग) का तथा/या अन्य विद्युत् संस्थापन का कार्य किया हो अथवा उसे ऐसा अन्य व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए जो मंडल द्वारा संतोषप्रद पाया जाये.

परिशिष्ट-2

#### भाग-एक

- (ए) संबंधित लोड के लिये तारों के आकार अभिनिश्चित करना.  
(बी) परीक्षण जैसे टेस्ट लैंप, घंटी तथा बैटरी, मानक तार, प्रमापी (गेज) का उपयोग, मेगर, भू-परीक्षण यंत्र (अर्थ टेस्टर) का उपयोग, त्रुटि की जांच, ध्रुवता (पोलीरिटी) के परीक्षण की प्रणाली तथा परिपथ (सर्किट) के फेजिंग आर्डर आउट का तरीका.

- (सी) कृत्रिम श्वसन (रेस्पिरेशन) उपचार.  
(डी) परिपथ (सर्किट) में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कनेक्शन.  
(ई) भारतीय विद्युत् अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की सामान्य जानकारी.  
(एफ) ओहम का नियम.  
(जी) प्रत्यावर्ती धारा (ए. सी.) तथा दिष्ट धारा (डी. सी.), विद्युत् पूर्ति के बीच का भेद.  
(एच) मानक तार प्रमापी (गेज) का उपयोग.  
(आई) वितरण परिपथ (डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट) का आरेख (डायग्राम)  
(जे) विद्युत् दाब (इलेक्ट्रिकल प्रेशर) (वोल्ट्स).  
(के) विद्युत् धारा (इलेक्ट्रिकल करंट) (एम्पीयर).  
(एल) शक्ति (पावर) (वाट्स) ऊर्जा (एनर्जी) (वाट आवर्स).  
(एम) संवाहक (कंडक्टर) और विद्युत् रोधक (इन्सुलेटर्स)  
(एन) ऊर्जा मापक यंत्री (एनर्जी मीटरों) का वाचन (रीडिंग).  
(ओ) शक्ति (पावर) तथा ऊर्जा (एनर्जी) की साधारण संगणना  
(पी) भूयोजन (अर्थिंग).  
(क्यू) तार (वायर) तथा केबल पर टांका लगाने वाला दस्ता((सोल्डरिंग लग्ज).  
(आर) अल्यूमीनियम तार (वायर) का उपयोग तथा उसका जोड़ना.  
(एस) विद्युत् धक्के (इलेक्ट्रिक शाक) से पीड़ित किसी व्यक्ति के मामले में बरते जाने वाले पूर्वोपाय तथा उपचार की पद्धति.

#### भाग-चार

खंभे, स्टे, टेके (स्ट्रट) खड़े करना, स्पान की लंबाई, गार्डवायरो सुरक्षात्मक साधन, भू-संपर्कन (अर्थिंग) तड़ित निरोधक (लाईटनिंग अरेस्टर) तथा विभिन्न प्रकार के कंडक्टरस जोड़ (ज्वाइन्ट्स) तथा टांकों के प्रकार, कंडक्टरों के बीच की दूरी तथा झोल, एरियल लाइनों के संवाहक की भवन से या जमीन से दूरी.

ऊपरी लाईनें और केबलों पर कार्य करने हेतु अपेक्षित सुरक्षा संबंधी उपायों तथा सामान्य उपयोग वाले सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का ज्ञान.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम, अधिकरण,  
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

क्र. 287-फा.दो.-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम, 34 (2) (ख) के अनुसरण में, एतद्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2017 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 22 मई 2017 से 3 जून 2017 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.



## राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 103-भू-अर्जन-17

देवास, दिनांक 13 जनवरी 2017

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है।

### अनुसूची

- |                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| 1. ग्राम का नाम | :- | बागनखेड़ा |
| 2. तहसील        | :- | कन्नौद    |
| 3. जिला         | :- | देवास     |
| 4. कुल प्रस्ताव | :- | 01        |

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन योग्य भूमि का रकबा (हे. में)
1	कृषि भूमि	श्रीमती बसुबाई पति कैलाशचंद्र जाति बलाई	107/3	0.04

कुल सर्वे नंबर— 01 कुल प्रस्ताव— 01

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बागनखेड़ा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 844-भू-अर्जन-2017

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2017

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013”** की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चौरई
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-काराबोह ब.न.-20 प.ह.न.-20 रा.नि.मं.-चौरई
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.400 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	42/3,43/2,43/3,44/1,45/1,45/2,45/3,45/4	0.170
2	31,32/1,32/2,33/3,33/4,34	0.230
	योग :-	0.400 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- **पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।**

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4.-अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

5-अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

6-अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 सिंगना जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्रमांक 1583-भू-अर्जन-2017

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 फरवरी 2017

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूँकि, मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263 भोपाल दिनांक 25.09.2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-केवलारीसंभा प0ह0न-03, ब.न.-32, रा.नि.मं.-चौरई	शासकीय आबादी भूमि एवं शासकीय भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये शासकीय आबादी भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं [mopre0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.moprevenue.nic.in/](http://www.moprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि कानक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1 सिंगना तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

रा.प्र.क्रमांक 01-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन,

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2017

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	
छिन्दवाड़ा	चौंद	ग्राम-भांडपिपरिया, प0ह0न0-36/19, ब0न0-217, रा0नि0म0 --चौंद, तहसील-चांद,	श्री रामदयाल पिता टेकचंद निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2. श्री घूड़न पिता गोधन तेली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	152/3  142/1	0.019  0.007	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियो - जना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग			0.026 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्र. 03-अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2017

प्रकरण क्र. /अ-82/2014-15 ग्राम- फरका पठरई चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कड़िका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कड़िका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी बलदेवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

1. परियोजना का नाम :- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।

2. भूमि का विवरण :- ग्राम-फरका पठरई तहसील-खरगापुर जिला-टीकमगढ़  
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-16.638 हेक्टेयर

अनुसूची				
स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	मु. जानकीबाई पुत्री रन्चे पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी घसीटा त. मल्लू जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.31	547	1.198	0.160
		545	1.259	0.355
		538	0.559	0.270
		539	0.257	0.110
<b>योग-</b>			<b>3.273</b>	<b>0.895</b>
2	जानकी रगवीर कासीराम तनय लछुवा प्रेम देवा लछुवा परवता परमा लालचे तनय रज्जू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/9 भाग भूमि स्वामी भग्गू तनय किशना जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/9 भाग भूमि स्वामी राजाराम भूपत तनय अच्छेलाल फूलाबाई मुल्ला पु. अच्छेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/9 भाग भूमि स्वामी झल्ली तनय मलखू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/9 भाग भूमि स्वामी घंशू रतीराम तनय अर्जुन मु. भगुन्ती देवा अर्जुन जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/6 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.94	460	0.623	0.040
<b>योग-</b>			<b>0.623</b>	<b>0.040</b>

3	परमा परवता लाल्ले तनय रज्जू जाति लोधी पता नि० ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी जानकी रघुवीर काशीराम तनय लछुवा मु. प्रेमबाई बेवा लछुवा हि. 1/8 जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी मु. नत्थी पुत्री जगना जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी भग्गू तनय किशना जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी झल्लू तनय मल्लू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी अर्जना तनय विरुवा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.56	535	0.619	0.270
		529	0.012	0.012
		466	0.858	0.110
		471	0.049	0.040
		478	0.639	0.195
		468	0.016	0.002
		218	0.429	0.110
		235	0.045	0.045
<b>योग-</b>			<b>2.667</b>	<b>0.784</b>
4	झल्ली तनय मल्लू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी मणिबाई पत्नि रतीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44	534	0.045	0.045
		528	0.081	0.081
		526	0.081	0.081
		472	0.409	0.150
		234	0.101	0.008
<b>योग-</b>			<b>0.717</b>	<b>0.365</b>
5	लाल्ले पर्वता परमा तनय रज्जू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. बराबर भाग भूमि स्वामी जानकी रघुवीर काशीराम तनय लछुवा मु. प्रेम वेवा लछुवा पाना पुत्री लछुवा जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. बराबर भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44	532	0.045	0.025
		530	0.190	0.025
		524	0.113	0.040
		527	0.267	0.170
		469	0.494	0.370
		236	0.125	0.017
<b>योग-</b>			<b>1.234</b>	<b>0.647</b>
6	मोतीलाल श्यामलाल त. भग्गू मु. खिमियार वेवा भग्गू गोदा राजा पुत्री भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/3 बराबर भाग भूमि स्वामी मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 2/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.06	533	0.028	0.028
		525	0.061	0.015
		470	0.101	0.050
		473	0.186	0.135
		474	0.081	0.008
<b>योग-</b>			<b>0.457</b>	<b>0.236</b>
7	मु. रम्बू पुत्री कलुवा हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी जगदीश विन्दा तनय गनेश हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.56	508	0.170	0.130
		509	0.397	0.001
<b>योग-</b>			<b>0.567</b>	<b>0.131</b>
8	रूपरानी पत्नि झल्ली जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.62	447	0.081	0.030
		446	0.137	0.055
<b>योग-</b>			<b>0.218</b>	<b>0.085</b>
9	सीताराम तनय नाथूराम 0.112/0.748 रूपरानी प. झल्ली 0. 635/0.748 जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 0. 62	442	0.748	0.155
<b>योग-</b>			<b>0.748</b>	<b>0.155</b>

10	मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू मु. खिमिया वेवा भग्गू गोदा राजा पुत्री भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94	401/1	0.336	0.194
		401/ ख	0.340	0.190
		401	0.429	0.198
<b>योग-</b>			<b>1.105</b>	<b>0.582</b>
11	बिज्जू रक्खु तनय सूके पता नि. ग्राम हि. 1/48 भाग भूमि स्वामी हरिराम तनय घन्सु पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कुसुमबाई पत्नि हरिराम पता नि. ग्राम हि. 1/48 भाग भूमि स्वामी प्यारे तनय खुमान पता नि. ग्राम हि. 1/72 भाग भूमि स्वामी कुन्जी तनय बन्दु पता नि. ग्राम हि. 1/72 भाग भूमि स्वामी उत्तम गोकल भूकन लक्ष्मन तनय हल्के पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कैतपुरावारी वेवा हल्के पता नि. ग्राम हि. 1/72 भाग भूमि स्वामी रामचरन तनय मौनलाल पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी धरमा तनय भैयालाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भुजुवा तनय हिम्मत पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण जयराम तनय सीताराम ना.वा. सरं. मां मीरादेवी पत्नि सीताराम पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी नथु तनय मोहन पता नि. ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी मु. जानकीबाई पुत्री रन्चे पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी घसीटा तनय मल्लु पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी गनेशा चुन्ना तनय गट्टी पता नि. ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी कन्जे तनय कनई पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी कौशिया पुत्री रमला पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी तुलसी पुत्री वंशी पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी दमरा तनय कम्मोदा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी कुटुवा तनय दलीपे पता नि. ग्राम हि. 1/48 भाग भूमि स्वामी सरजू बच्ची नथुवा वृजलाल तनय गजैया पता नि. ग्राम हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी मु. गौरिया वेवा मुल्ले पता नि. ग्राम हि. 1/48 भाग भूमि स्वामी अर्जना मतंगा तनय चउदा पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी धम्मा हल्कइया तनय मुनिया पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी बसन्ती हरदास भूरा मुन्ची तनय रन्चुवा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. परवतिया वेवा रन्चुवा पता नि. ग्राम हि. 1/48 भाग भूमि स्वामी पैलवान तनय भरोसा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गोरेलाल रक्खू सरमन रमसीगां तनय पैलवान जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/48 भाग भूमि स्वामी	207	0.656	0.200
		<b>योग-</b>		
12	मनका हरदास तनय हल्के जाति लोधी पता नि. भूमि स्वामी मु. किसरिया वेवा हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.69	203	0.061	0.035
<b>योग-</b>			<b>0.061</b>	<b>0.035</b>
13	विज्जू रक्खू तनय सूके जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी हरिराम तनय घन्सू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कुसुमबाई पत्नि हरिराम जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी प्यारेलाल तनय खुमान जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/36 भाग भूमि स्वामी उत्तम गोकल भूकन लक्ष्मन तनय हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कैतपुरावारी वेवा हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/36 भाग भूमि स्वामी राममिलन कोमल तनय गोकल जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भाग भूमि स्वामी धरमा तनय भैयालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सुजुवा तनय हिम्मता जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी बालकिसन प्रेमी रामादीन त. राजाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी	206	0.743	0.055
		194	1.172	0.340
		185	0.401	0.152
		183	0.425	0.192

	सीताराम अनंतराम हरीराम तनय नथू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/6 भाग भूमि स्वामी मु. जानकीबाई पुत्री रन्चे जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी अर्जना मतंगा तनय चउदा जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी धर्मा हल्कड़या तनय मुनिया जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/12 बराबर भाग भूमि स्वामी बसन्ती हरदास भूरा गुल्पा तनय रन्चुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. परवतिया वेवा रन्चुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी पैलवान तनय भेरमा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गोरेलाल रक्खू सरमन हरसीगा तनय पैलवान जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/24 भाग भूमि स्वामी घसीटा तनय मल्लू हि. 1/24 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 13.88			
	<b>योग—</b>		<b>2.741</b>	<b>0.739</b>
14	कलिया पुत्री रमला जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी तुलसी पुत्री बंसी जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी रम्बू पुत्री कलुवा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी कूरा तनय दम्मा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी लखन हरीराम तनय कुटुवा मु. हीरापुरबारी वेवा कुटुवा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी सरजू बच्ची नथुवा वृजलाल तनय अजैया जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. जटेरावारी वेवा गजैया जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/6 भाग भूमि स्वामी सुन्ना दलपत ठाकुरदास हरचरन त. लम्पू प्यारी पार्वती पु. लम्पु जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/12 भाग भूमि स्वामी आशाराम तनय सूका जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.94	192	0.166	0.060
	<b>योग—</b>	184	0.113	0.048
	<b>योग—</b>		<b>0.279</b>	<b>0.108</b>
15	चंद्रभान खेमराज त. रामस्वरूप रागवेन्द्र हरीनारायण त. भागीरथ विज्जू रक्कू तनय सूके जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/10 भाग भूमि स्वामी हरिराम तनय घन्सू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कुसुमबाई पत्नि हरीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/10 भाग भूमि स्वामी प्यारे तनय खुमान जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/15 भाग भूमि स्वामी कोमल राममिलन तनय गोकल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी लक्ष्मन तनय हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कैनपुरावारी वेवा हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/15 भाग भूमि स्वामी धरमा तनय भैयालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गजुवा तनय हिम्मता जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/5 भाग भूमि स्वामी बालकिसन प्रेमी रामादीन त. राजाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/15 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.88	182	0.255	0.120
	<b>योग—</b>		<b>0.255</b>	<b>0.120</b>
16	उत्तम गोकल भुकन लक्ष्मन त. हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.06	270	1.501	0.120
	<b>योग—</b>		<b>1.501</b>	<b>0.120</b>
17	काशीराम तनय सुक्का जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.59	126/1	0.659	0.525
	<b>योग—</b>		<b>0.659</b>	<b>0.525</b>
18	जुग्गा सिमली रतना तनय दलुवा जाति दर्जी पता नि. ग्राम बरा. भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.99	126/2/1	1.121	0.385
	<b>योग—</b>		<b>1.121</b>	<b>0.385</b>



19	धम्मा हल्कड़या तनय भुनिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.56	124/2	1.315	0.020
	<b>योग-</b>		<b>1.315</b>	<b>0.020</b>
20	मलखान तनय लछु जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी भुमानीदीन तनय हिन्दु जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी रामकृपाल गोपी अर्जन बल्दू तनय चिंतामन मु. वेवा चिंतामन जाति लुहार पता नि. ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.31	112	3.318	0.650
	<b>योग-</b>		<b>3.318</b>	<b>0.650</b>
21	पुन्ना तनय पंचो जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.10	113/1/1	0.500	0.056
	<b>योग-</b>		<b>0.500</b>	<b>0.056</b>
22	गोरेलाल तनय पंचा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.10	113/1/2	0.500	0.056
	<b>योग-</b>		<b>0.500</b>	<b>0.056</b>
23	तुलसीदास नारायणदास त. धनुवा फूलमय वेशनुवा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी नथुवा विज्जू गन्डा नुन्नु त. अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी लम्पुआ त. रमला जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी वावू खन्जू गुल्ला छिदामी हल्के तनय ग्या मु. कल्लो वऱई वेवा ग्या जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.19	1554	0.077	0.077
		1078	0.538	0.006
		1555	0.113	0.060
		1075	0.607	0.010
		1553	0.429	0.170
		1557	0.409	0.389
		1558	1.368	0.120
		1550	0.065	0.045
		1549	0.825	0.070
		1551	0.323	0.235
	<b>योग-</b>		<b>5.199</b>	<b>1.222</b>
24	करिया कूरा मुलू तनय हज्जू जाति गडरिया पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू राजस्व 1.25	1556	0.445	0.190
	<b>योग-</b>		<b>0.445</b>	<b>0.190</b>
25	सीताराम अनंतराम हरीराम तनय नथुवा जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी मु. जानकीबाई पुत्री रन्टो जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी रामदुलारी पत्नि सीताराम जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.75	1073	2.338	1.220
	<b>योग-</b>		<b>2.338</b>	<b>1.220</b>

26	वहोरी भागीरथ रामेश्वर दादू खुमान जमना त. पुन्ना उल्ला तनय मगना जाति चमार पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी	1034	0.380	0.055
		1035	0.081	0.081
		1036	0.061	0.061
		1037/मिन -2	0.224	0.224
		1038	0.266	0.090
	<b>योग-</b>		<b>1.012</b>	<b>0.511</b>
27	वहोरी भागीरथ रामेश्वर दादू खुमान जमना त. पुन्ना जाति चमार पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी	1037/मिन -1	0.195	0.195
	<b>योग-</b>		<b>0.195</b>	<b>0.195</b>
28	पंचा तनय रमोला जाति चमार पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी	1045	0.731	0.361
			<b>0.731</b>	<b>0.361</b>
29	धांदू तनय तुलसी शोती सुकरत पुत्री तुलसी जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी पुन्ने उर्फ पूरन त. मुन्जे जाति लोधी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी दयाराम तनय घंसू जाति गडरिया पता ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 7.94	1047	3.682	0.450
	<b>योग-</b>		<b>3.682</b>	<b>0.450</b>
30	काशीराम मातादीन धनीराम तनय मन्नु जाति बाढई पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.81	1559	1.368	0.015
	<b>योग-</b>		<b>1.368</b>	<b>0.015</b>
31	सुमिन्ता वेवा धनुवा तुलसीदास भगवानदास तनय धनुवा हि. 1/4 जाति काछी पता ग्रामी भूमि स्वामी नथुवा नून्नु बिज्जू तनय अर्जना जाति काछी पता ग्रामी भूमि स्वामी मु सुनिया वेवा अर्जना जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी बाबू खन्जू गुल्ला छिदामी हल्के तनय ग्या मु. कल्लोबाई वेवा ग्या जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी लम्पुआ तनय रमला जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.62	1416	0.934	0.540
	<b>योग-</b>		<b>0.934</b>	<b>0.540</b>
32	लम्पुआ तनय रमला जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी बाबू खन्जू गुल्ला छिदामी हल्के तनय ग्या मु. कल्लोबाई वेवा ग्या जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी नथुवा गुन्डा नून्नु विज्जू तनय अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी मु. सुनिया वेवा अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी मु. हरबाई पुत्री नन्ना जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.88	1081	0.417	0.035
	<b>योग-</b>		<b>0.417</b>	<b>0.035</b>
33	भगवानदास कमलेश तनय ग्योसी मु. जानकीबाई वेवा ग्यासी. हि. 1/2 चतरा तनय कडोरा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी हिरुआ चतरा तनय कडोरा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.88	1300	1.355	0.180
		1305	0.53	0.315
		1301	0.045	0.002
		1304	0.336	0.210
	<b>योग-</b>		<b>2.266</b>	<b>0.707</b>

34	हरप्रसाद घनश्याम तनय खुमान जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी सुकइया तनय रजोला जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी मु. पिरू बेबा भूरा जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी दुरजू तनय बेटा जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी ग्यासिया तनय बदरा जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी वंशी कडोरा तनय लम्पा जाति काछी पता ग्रामी 1/4 भाग भूमि स्वामी	1310	0.142	0.008
		1307	0.053	0.002
	<b>योग-</b>		<b>0.195</b>	<b>0.010</b>
35	सुकइया तनय रमोला हि. 1/4 रामस्वरूप तनय हरदास हि. 1/4 सद्दू तनय हरप्रसाद हि. 1/4 मोहन धनीराम तनय घनश्याम हि. 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.31	1306	0.417	0.030
	<b>योग-</b>		<b>0.417</b>	<b>0.030</b>
36	घनश्याम तनय खुमान रामस्वरूप सद्दू तनय हरप्रसाद चत्तू पु. हरप्रसाद कल्लू बेबा हरप्रसाद जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी सुकई तनय रंजोला जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी खुमान तनय कलपा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00	1288	0.081	0.050
		1292	0.101	0.075
		1294	0.101	0.045
	<b>योग-</b>		<b>0.283</b>	<b>0.170</b>
37	करिया परसादी तनय भरोसा 1/2 भागीरथ तनय परवता 1/4 पलुवा तनय खुरा 1/4 जाति काछी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.06	1289	0.089	0.073
		1293	0.198	0.095
	<b>योग-</b>		<b>0.287</b>	<b>0.168</b>
38	तुलसीदास नारायण तनय धनुवा मु० फुलिया बेवा धनुवा जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी नथुवा, गन्टा, नुन्नू बिज्जू तनय अर्जना जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी नथुवा, गन्टा, नुन्नू विज्जू तनय अर्जना जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी मु. सुनिया बेवा अर्जना जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी दुरजू त. बेटा जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी घनश्याम त. खुमान रामस्वरूप, सद्दू त. हरप्रसाद, चत्तू पु. हरप्रसाद कल्लू वे. हरप्रसाद जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी सुकई त. रंजोला जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/12 भाग भूमि स्वामी भरोसा, हल्का, दरुआ त. दरुआ जाति लोधी पता नि. ग्रामी 2/9 भाग भूमि स्वामी मु. पिरुआ बेवा भूरा जाति लोधी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69	1296	0.607	0.080
		1291	0.024	0.004
	<b>योग-</b>		<b>0.631</b>	<b>0.084</b>
39	रामजी भूमि स्वामी	1290	0.081	0.081
	<b>योग-</b>		<b>0.081</b>	<b>0.081</b>
40	धनुवा त. कमला जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी नथुवा, नन्नू, बिज्जू त. अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.06	1287	0.182	0.006
		1295	0.125	0.050
	<b>योग-</b>		<b>0.307</b>	<b>0.056</b>

41	नथुवा त. अधरा छितिया बेवा अधरा 1/4 फूलाबाई पत्नि तुलसी हि. 1/8 भुज्जू तनय घन्सू 3/8 जाति काछी भूमि स्वामी लटोरा विहारी धनीराम तनय धरमा बैनीबाई बेवा धरमा 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00	1266	0.712	0.040
		1262	1.278	0.258
		1265	0.599	0.340
		1264	0.028	0.028
		1263	0.146	0.121
<b>योग-</b>			<b>2.763</b>	<b>0.787</b>
42	फूलाबाई पत्नि तुलसी जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी लटोरा, बिहारी, धनीराम, त. धर्मा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी नथुवा त. अधरा भुज्जू त. घन्सू काछी जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75	1260	0.209	0.149
		1259	0.271	0.065
		1257	0.417	0.180
<b>योग-</b>			<b>0.897</b>	<b>0.394</b>
43	भुज्जू त. घन्सू हि. 1/3, फूलाबाई पत्नि तुलसी जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/6 भाग भूमि स्वामी नथुवा त. अधरा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी लटोरा, बिहारी, धनीराम त. धर्मा जाति काछी पता नि. ग्रामी 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.44	1255	1.141	0.580
<b>योग-</b>			<b>1.141</b>	<b>0.580</b>
44	परसादी करिया त. भरोसा जाति काछी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भूमि स्वामी 0.25	1256	0.312	0.040
		1203	0.125	0.080
		1178	0.045	0.012
		1179	0.182	0.140
		1182	0.077	0.051
		1160	0.061	0.018
<b>योग-</b>			<b>0.802</b>	<b>0.341</b>
45	ऊषा पुत्री कूरा हि. 1/2 जाति काछी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भूषण त. गनू 1/2 काशीराम त. परमलाल 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44	1203 क	0.21	0.175
<b>योग-</b>			<b>0.210</b>	<b>0.175</b>
46	मनुवा तनय घसिया जाति काछी पता ग्रामी हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी कटोरी, बल्ली तनय गटोला जाति काछी पता ग्रामी हि. 1/2 भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.62	1204	0.307	0.085
		1205	0.036	0.002
		1206	0.777	0.050
<b>योग-</b>			<b>1.120</b>	<b>0.137</b>
47	परसादी, करिया तनय भरोसा जाति काछी पता ग्रामी हि. 2/3 भाग भूमि स्वामी नथुवा, गन्टा, गुन्नु, बिज्जू तनय अर्जना जाति काछी पता ग्रामी हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.88	1199	0.324	0.075
		1195	0.369	0.269
		1196	0.057	0.032
		1197	0.360	0.060
		1194	0.390	0.115
<b>योग-</b>			<b>1.500</b>	<b>0.551</b>

48	शंकर, धनीराम, मोहन त. भरोसे जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.81	1176	0.243	0.130
		1180	0.202	0.040
		1181	0.166	0.130
<b>योग-</b>			<b>0.611</b>	<b>0.300</b>
49	शंकर, धनीराम, मोहन त. भरोसे हि. 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी आशाराम, काशीराम, सरजू, सीताराम तनय विन्दे जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 17.81	1158	1.485	0.394
<b>कुल योग-</b>			<b>1.485</b>	<b>0.394</b>
			<b>55.832</b>	<b>16.638</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।  
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री बानसुजारा नहर परियोजना बल्देवगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्र. 04-अ-82-2016-17

प्रकरण क्र. /०५/अ-82/2016-17 ग्राम रमपुरा चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) बैलेंसिंग रिजर्वायर हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) बैलेंसिंग रिजर्वायर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लव भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कांडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है की यदी उक्त संबंध मे किसी वयक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

- परियोजना का नाम-बानसुजारा परियोजना नहर (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) निर्माण करने हेतु।
- भूमि का विवरण :- ग्राम-रमपुरा तहसील-खरगापुर जिला-टीकमगढ़  
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 14.059 हेक्टेयर

### अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवासी स्थान	खसरा नं.	कुल रकवा हेक्ट.में	अर्जित रकवा हेक्ट.में
1	2	3	4	5
1.	राजाराम रमेश खचोरी तनय परसादी 1/6 नाथूराम तनय मोहन हि. 1/6 वालादीन हरचरन तनय प्यारेलाल हि. 1/3 रामदयाल तनय हरदास हि.10/54 चूरामन मोतीलाल, रामप्रसाद छन्नु तनय हरदास हि.8/54 जाति लौधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	968	2.205	0.004
योग			2.205	0.004

2.	सदेव, ग्यासी तनय भगुन्ता, नोनी, लाडवारी, ममताबाई, नत्थू, कुसुम, नत्थु कुसुम पुत्री भुमनिया, उमदी, रामकली, भागवती पुत्री सिमला हि. 4/30 मकखन तनय बुददा हि. 1/30, ठलूआ, बलिया तनय अछय हि. 1/6 जयबाई पुत्री गुजखा हि. 1/9 सरमनलाल तनय बल्देव हि. 1/8 मकखन बुददा, मुनिया वेवा बुददा, वालादीन, कल्लू तनय प्रागी हि. 1/2 दिनेश तनय ग्यासी ना. वा. देवेन्द्र, दीपचन्द्र तनय ग्यासीराजबाई वेवा ग्यासी जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1010	0.186	0.095
		1011	0.287	0.015
		1012	0.113	0.060
		1013	0.040	0.040
		1014	0.344	0.344
		1015	0.085	0.085
		1016	0.113	0.055
	योग		1.168	0.694
3.	कडोरी, नारायणदास तनय सरमन जति लोधी ग्राम भूमि स्वामी	1020	0.725	0.480
		1049	0.336	0.336
	योग		1.061	0.816
4.	सरमन तनय बल्देव जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1021	0.376	0.376
		1046/2	0.160	0.160
		1055	0.388	0.101
	योग		0.924	0.637
5.	मकखन तनय बुददा, मु. मुनिया वेवा बुददा हि. 1/3, वालादीन, लल्लू तनय प्रागी हि. 2/3 जाति अहिरवार पता ग्राम निवासी भूमि स्वामी	1023	0.028	0.028
	योग		0.028	0.028
6.	रामलखन तनय लटोरे जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1025	0.380	0.380
		1026	0.393	0.393
		1027	0.805	0.665
		1043	1.104	1.060
		1077	0.547	0.547
	योग		3.229	3.045
7.	बाबूलाल, मुन्नालाल, लखनलाल तनय दयाराम हि. 67/184 सुनील कुमार तनय परमलाल हि. 1/2 मनीराम, राजाराम तनय भागीरथ हि. 25/184 जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1032	0.749	0.025
	योग		0.749	0.025
8.	रत्तू रगनाथ तनय दयाल, मु. भुवन बाई वेवा दयाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1035	0.227	0.106
	योग		0.227	0.106
9.	रघुनाथ तनय दयाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1036	0.190	0.095
	योग		0.190	0.095
10.	रतन, अन्तराम तनय धर्मदास जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1037	0.174	0.090
	योग		0.174	0.090
11.	घनश्यात उर्फ प्रभूदयाल तनय डिल्लीपत हि. 11/24 जाति लोधी बरेलाल तनय भरोसा हि. 1/4, जाति बसोर बाबूलाल, मुन्नालाल, लखनलाल, तनय दयाराम हि. 1/8, सुनीलकुमार तनय परमलाल हि. 1/8 रिक्खू, थोवन तनय बहोरा हि. 1/24 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1038	0.421	0.368
		1041	0.409	0.349
	योग		0.830	0.717

12.	सरमन तनय रंजीता हि.1/2 धूराम छोटे तनय धांदू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1039	0.198	0.080
	योग		0.198	0.080
13.	धनीराम,भुमानीदीन,जगदीश,देशराज तनय ज्ञानी जाति ब्राह्मण पता नि.खुड़ो भूमि स्वामी	1044	0.474	0.474
		1052	0.287	0.287
		1054	0.316	0.256
		1072	0.833	0.833
		1075/1	1.158	1.158
		1045	0.057	0.057
		1046/1	0.107	0.107
	योग		3.232	3.172
14.	रामप्रसाद तनय नन्ना,रतनलाल,अन्तराम तनय धर्मदास नन्दू तनय रगवर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1047	0.437	0.437
		1048	0.182	0.182
		1078	0.231	0.231
		1079	0.283	0.101
	योग		1.133	0.951
15.	नथू,सरमन तनय बल्देव हि.1/3 धनीराम,भुमानीदीन,जगदीश,देशराज तनय ज्ञानी हि.2/3 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1050/1	0.040	0.040
		1050/3	0.139	0.139
	योग		0.179	0.179
16.	जसरथ तनय ठक्कू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1050/2	0.193	0.193
		1053	0.332	0.297
	योग		0.525	0.490
17.	नथू,सरमन तनय बल्देव हि.1/4, जसरथ तनय ठक्कू हि.1/4 जाति लोधी धनीराम,भुमानीदीन,जगदीश,देशराज तनय ज्ञानी हि.1/2 जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1051	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
18.	हरदास तनय खल्का हि.1/2 विहरिया,खुमना,बाबू तनय छत्ता हि.3/10, कल्लू तनय छत्ता हि.2/10 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1060	0.299	0.215
		1066	0.073	0.043
		1071	0.129	0.129
	योग		0.501	0.387
19.	सरमन तनय रंजीता धूराम छोटे तनय धांदू हि.1/2 रतियां तनय गुमना हि.1/2 जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	1061	0.117	0.117
		1062	0.105	0.105
		1067	0.061	0.061
		1068	0.053	0.053
		1069	0.065	0.065
	योग		0.401	0.401

20.	ठलूवा, वलिया तनय अच्छू हि.1/2, सहदेव, गज्जू तनय भगुन्ता मु.मलगुवा, वारी वेवा भगुन्ता, नामी, लटवारीबाई, ममताबाई, नल्यूबाई, कुसुमबाई पुत्री सिमला हि.9/20 पुत्री भुमनिया हि.1/20 दिनेश तनय ग्यासी ना. वा. देवेन्द, दीपचन्द तनय ग्यासी राजाबाई वे. ग्यासी जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1063	0.308	0.308
		1065	0.065	0.035
योग			0.373	0.343
21.	वलिया तनय अच्छू हि.1/6 जैबू तनय गुलखा हि.1/6 भगुन्ता तनय नथुवा हि. 1/6 हरदास तनय खल्का हि.1/12 परमी तनय खल्का हि.1/12 छत्ता तनय शंकरा हि.1/3 सरमन तनय रंजीता हि.1/3 धूराम छोटेलाल तनय धांदू हि.1/3 जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1064	0.024	0.024
		1070	0.117	0.097
योग			0.141	0.121
22.	वलिया तनय अच्छू जैबू पुत्री गुलखा हि. जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1074/1	0.328	0.328
		1075/2/1	0.257	0.257
		1085/2	0.648	0.050
योग			1.233	0.635
23.	रामप्रसाद तनय नन्ना हि. 1/3 चतुर, जेताराम तनय चंदू हि. 1/3 रतन, अनंतराम तनय धर्मदास हि.1/3 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1080	0.506	0.370
योग			0.506	0.370
24.	कमला तनय धनुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1081/1	0.541	0.015
योग			0.541	0.015
25.	सहदेव गज्जू तनय भगुन्ता, देवकिया पुत्री भगुन्ता हि.2/3 उमदीकली भागवती पुत्री भुमानी हि.1/6 नौनी बाई ममता नलवाई पु.सिमला लछिया वेवा सिमला हि. 1/6 दिनेश तनय ग्यासी ना. वा. देवेन्द दीपचन्द तनय ग्यासी राजाबाई वेवा ग्यासी नि. ग्राम भूमि स्वामी	1085/1	0.647	0.130
		1075/2/2	0.257	0.257
योग			0.904	0.387
26.	बालमुकुंद बहादुर हुकम तनय भगु मोतीलाल, रामप्रसाद, राजाराम, मुल्हयम तनय धनश्याम, श्यामबाई वे. धनश्याम रामदयाल तनय किशोरी हि.11/16 रतिराम मल्लू हि.1/16 बाबू देशराज तनय कामता हि.1/4 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1090	0.158	0.045
		1091	0.332	0.202
योग			0.490	0.247
कुलयोग-		63	21.166	14.059

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।  
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागी खरगापुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 3512-ए-2016-2017

धार, दिनांक 20 फरवरी 2017

**:: प्रारंभिक अधिसूचना ::**

(अन्तर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क.31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चोकी तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम- चोकी

तहसील- धरमपुरी जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क.31) के निर्माण में प्रभावित होने से	1.574	0.530	2.104
	<b>योग</b>	<b>1.574</b>	<b>0.530</b>	<b>2.104</b>

**अनुसूची (2)**

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चोकी तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रमेश, कैलाश, गंगाबाई, लीलाबाई, रूकमणीबाई, मधुबाला, हेमलता, सरलाबाई पिता कन्हैयालाल, सीताबाई पति स्व. कन्हैयालाल जाति हरिजन निवासी ग्राम चोकी	45/2 ख	0.000	0.569	0.569	0.000	0.139	0.139
2	राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला धार	74	0.000	0.051	0.051	0.000	0.006	0.006
		109	0.657	0.000	0.657	0.266	0.000	0.266
		111	0.936	0.000	0.936	0.006	0.000	0.006
3	शांतिबाई पिता प्रेमसागर जाति भीलाला निवासी ग्राम चोकी	75	0.000	0.139	0.139	0.000	0.030	0.030
		97	0.000	0.063	0.063	0.000	0.054	0.054

4	किरण पति कन्नू जाति भीलाला निवासी ग्राम चिक्कयावड़	78	2.213	0.000	2.213	0.544	0.000	0.544
5	रमेशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता मानसिंह, दिप्तेश, दिक्षिका पिता बालाराम ना.बा.पा. कर्ता माता तुलसीबाई पति स्व. बालाराम जाति भील निवासी ग्राम चोकी	89	0.000	0.455	0.455	0.000	0.126	0.126
		90	1.505	0.000	1.505	0.468	0.000	0.468
6	श्यामीबाई पति स्व. मानसिंह जाति भील निवासी ग्राम भाण्डाखो	92	0.000	0.126	0.126	0.000	0.089	0.089
7	भूपेन्द्र पिता चैनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम चोकी	93/3	0.380	0.000	0.380	0.020	0.000	0.020
8	जानकीबाई पति स्व. भगवानसिंह जाति पासी निवासी ग्राम चोकी	96	0.000	0.038	0.038	0.000	0.006	0.006
9	मूलचंद, कन्हैयालाल, रामलाल, बाबूलाल पिता नरसिंह जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम नालछा	98	0.000	0.089	0.089	0.000	0.076	0.076
10	निर्मयसिंह, कैलाश पिता मेहताबसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम चोकी	110	0.000	0.051	0.051	0.000	0.004	0.004
11	पवनकुमार पिता लालताप्रसाद निवासी ग्राम चोकी	121/1	1.126	0.000	1.126	0.038	0.000	0.038
12	मदन, रामचंद्र पिता ईश्वरदयाल, कन्हैयालाल, गोकुल, प्रसाद पिता इन्दोरीलाल, मदन, दुर्गा, ना.बा. पिता आनंदीलाल, पालनकर्ता माता राधाबाई पति स्व. आनंदीलाल, जमनाबाई, कमलाबाई पिता इन्दोरीलाल, सुनिल, सुनिताबाई, अनिताबाई, बबीताबाई पिता दुलीचंद, देवा, कार्तिक ना.बा. पिता राजा, पालनकर्ता माता अर्चनाबाई पति स्व. राजा, मनोज विनोद, सुनिल, लाखन, राजा, सुरज, राजुबाई, आरतीबाई पिता बाबुलाल, राम, जानकीबाई पति स्व. बाबुलाल जाति पासी निवासी ग्राम चोकी	121/2	0.620	0.000	0.620	0.116	0.000	0.116
		122	1.569	0.000	1.569	0.116	0.000	0.116
योग :-			9.006	1.581	10.587	1.574	0.530	2.104

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 11776-अ-82-2015-2016

राजगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.2013 सन्2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम-घोघड़िया कला के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नं. 37/1 रकबा 0.101 हेक्टेयर, सर्वे नं. 32 रकबा 0.177 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 4/3/1 रकबा 1.265 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ती निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान - ग्राम घोघड़िया कला

स.क्र.	कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टेयर में)		कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में)
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	6
1			रमेश पिता रामरतन जाति सौंधिया	1	49.5
				32	56.89
					<b>106.39</b> ✓
2			मांगीलाल पिता मेहताव जाति सौंधिया	2	48.75
				31	56.89
					<b>105.64</b> ✓
3			बलवंत सिंह पिता शिवनारायण जाति सौंधिया	5	68.66
				36/5	24.48
					<b>93.14</b> ✓
4			रामकरण पिता विजय सिंह जाति सौंधिया	6	44.10
				36/4	29.64
					<b>73.74</b> *
5			श्याम पिता शिवनारायण जाति सौंधिया	7	45.50
				36/6	24.48
					<b>69.98</b> ✓
6			गायत्राबाई पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया	12	<b>50.82</b> ✓
7			इंदर सिंह पिताजगन्नाथ जाति सौंधिया	13	47.88
				60/3	30.03
					<b>77.91</b> ✓
8			कमल सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	14	14.00
				35/2	42.51
					<b>56.51</b> ✓
9			दिलीप सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	15	14.00
				35/4	81.11
					<b>95.11</b> ✓
10			मानसिंह पिता अनार सिंह जाति सौंधिया	18	58.96
				64	21.70
					<b>80.66</b> ✓
11			सूरजसिंह पिता प्रेमलाल जाति सौंधिया	21	<b>25.50</b> ✓
12			वादाम बाई पत्नि भंवरलाल जाति हरिजन	22	93.64
				58	18.00
					<b>111.64</b>
13			दोल जी पिता बापूलाल जाति सौंधिया	24	<b>58.50</b> ✓
14			कवरलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया	25	72.00
				29/3	64.39
					<b>136.39</b> ✓
15			जुझारसिंह पिता करन सिंह जाति सौंधिया	27/1	143.11 ✓
16			सीमा बाई पत्नि जुझार सिंह जाति सौंधिया	27/2	64.67 ✓

स.क्र.	कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टर में)		कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में)
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	6
17			प्रेम सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया	28/1	101.89 ✓
18			सूरज सिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	28/2	31.50 ✓
19			अमृत सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	29/1	75.84
				125/2	71.69
					<b>147.53</b> ✓
20			कंचन बाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया	29/2	76.51
				125/1	79.18
					<b>155.69</b> ✓
21			सुंदर बाई पत्नि प्रेमसिंह जाति सौंधिया	29/4	29.75 ✓
22			रोडजी पिता मेहताव जाति सौंधिया	30	56.89 ✓
23			नारायण सिंह पिता राम सिंह जाति सौंधिया	33/1	64.60
				77/2	55.44
					<b>120.04</b> ✓
24			महेन्द्र पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया	33/2	164.16
				38/1	57.12
					<b>221.28</b> ✓
25			देवसिंह पिता राम सिंह जाति सौंधिया	34/1	72.57
				73	108.78
					<b>181.35</b> ✓
26			भगवान सिंह पिता देवसिंह जाति सौंधिया	34/2	147.32
				75/2	64.60
					<b>211.92</b> ✓
27			गंगाराम पिता पूर जी जाति सौंधिया	35/1	41.24 ✓
28			पर्वत सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	35/3	46.47 ✓
29			विजय सिंह पिता पूर जी जाति सौंधिया	36/1	108.13 ✓
30			शिवनारायण पिता पूर जी जाति सौंधिया	36/2	108.13 ✓
31			कालू सिंह पिता विजय सिंह जाति सौंधिया	36/3	29.64 ✓
32			रामबाबू पिता देवसिंह जाति सौंधिया	37	156.56
				75/1	64.60
					<b>221.16</b> ✓
33			अनीता पिता नारायण जाति सौंधिया	38/2	57.12 ✓
34			बापूलाल पिता भूरू जी जाति सौंधिया	39	238.39 ✓
35			कलाबाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया	40	29.76 ✓
36			दुले सिंह पिता प्यार जी जाति सौंधिया	41	45.34 ✓
37			वीरम सिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	42/1	126.38
				43/1	57.83
					<b>184.21</b> ✓
38			राजूबाई पत्नि वीरम सिंह जाति सौंधिया	42/2	126.38
				43/2	57.83
				88/1	34.00
					<b>218.21</b> ✓
39			देवी सिंह पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया	44	62.30
				88/2	40.32
					<b>102.62</b> ✓
40			भूरालाल पिता माधू जाति सौंधिया	45	90.60 ✓
41			कालूराम पिता मानसिंह जाति भिलाला	46	19.25 ✓
42			प्रेम सिंह पिता माधू जाति सौंधिया	47	88.12 ✓
43			कालूसिंह पिता माधू जाति सौंधिया	48	77.19 ✓
44			नवल सिंह पिता कालू सिंह जाति सौंधिया	49	15.50
				53/2	87.10
					<b>102.60</b> ✓
45			वंशीलाल पिता माधू जाति सौंधिया	50/1	110.01
46			भूलीबाई पत्नि बंशीलाल जाति सौंधिया	50/2	60.68
				105/2	49.00
					<b>109.68</b> ✓

स.क्र.	कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टर में)		कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में)
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	6
47			मोतीलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया	51/1	117.98
48			कमला बाई पत्नि मोतीलाल जाति सौंधिया	51/2	91.25
49			भारत सिंह पत्नि मोतीलाल जाति सौंधिया	51/3	143.40
50			अंतरबाई पत्नि भारत सिंह जाति सौंधिया	51/4	184.50
51			केशर बाई पत्नि भुवन सिंह जाति सौंधिया	52/1	34.37
52			सुरेन्द्र पिता भुवन सिंह जाति सौंधिया	52/2	34.37
53			सौलद बाई पत्नि मुकेश जाति सौंधिया	52/3	34.37
54			कमल सिंह पिता कालू सिंह जाति सौंधिया	53/1	87.10
55			इंदर सिंह पिता माधो जाति सौंधिया	54/1	56.54
56			रामेश्वर पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया	54/2	56.54
57			जगदीश पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया	54/3	56.54
				99	40.02
					96.56
58			माधो जी पिता अमर सिंह जाति सौंधिया	54/4	56.54
59			गोपीलाल पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	55	70.11
60			राधेश्याम पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	56	6.67
61			भवरलाल पिता पूरजी जाति हरीजन	57	73.10
62			रुखमाबाई देवा बलराज जाति हरीजन	59	56.40
63			वीरम सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	60/1/1	27.39
64			गोकुल बाई पत्नि वीरम सिंह जाति सौंधिया	60/1/2	27.39
65			जगन्नाथ पिता पूरजी जाति सौंधिया	60/2	47.58
66			गिरिराज पिता मागीलाल जाति सौंधिया	62	74.20
67			दिनेश पिता बापूलाल जाति सौंधिया	68	29.60
68			रामकला पति गंगाराम जाति सौंधिया	71	24.50
69			काली बाई पत्नि देव सिंह जाति सौंधिया	74	115.60
70			गीताबाई पत्नि नारायण सिंह जाति सौंधिया	76	65.45
71			मनीषा बाई पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया	77/1	55.44
72			कौशल्या बाई पत्नि देवी सिंह जाति सौंधिया	82	54.72
				90	40.20
					94.92
73			बादाम बाई पत्नि घीसालाल जाति सौंधिया	83	94.92
74			घीसालाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया	84	50.25
75			जगदीश पिता बापूलाल जाति सौंधिया	85	81.74
76			कौशल्या बाई पत्नि जगदीश जाति सौंधिया	86/1	33.60
77			जतनबाई पत्नि नारायण सिंह जाति सौंधिया	86/2	33.60
78			दुलेसिंह पिता प्यार सिंह जाति सौंधिया	87	64.68
79			छमाबाई पत्नि भूरालाल जाति सौंधिया	105/1	96.60
80			कांता बाई पत्नि इंदर सिंह जाति सौंधिया	98	54.51
			कुल योग :		6907.19
			कुल योग :		0.6907 हेक्टर

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला-राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11777-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम टाण्डी के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 281 रकबा 0.734 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम टाण्डी

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	5
1	281	0.734	घीसालाल पिता गोपीलाल, शिवलाल, महेश, नन्दू, रोहित पिता घीसालाल जाति हरिजन	1	95.540✓
2			कालूजी पिता गेंदाजी, सत्यनारायण पिता कालूजी जाति हरिजन	2	296.700✓
3			जगदीश पिता मांगीलाल, नारायण बाई पिता मांगीलाल जाति हरिजन	3	93.880✓
4			पन्नालाल पिता धूलजी जाति हरिजन	4	139.120✓
5			कालूसिंह, भगवानसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	5	267.590✓
6			बंशीलाल पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया	6	255.250✓
7			बादाम बाई बेवा शिवनारायण जाति सेन	7	172.370✓
8			मांगीलाल पिता रामलाल, मनोहर पिता मांगीलाल जाति सेन	8 (i)	98.780✓
9			कंवरलाल पिता मांगीलाल जाति सेन	8 (ii)	116.190✓
10			रामप्रसाद पिता मोतीलाल, रामजीवन पिता रामप्रसाद जाति सेन	9	125.480✓
11			कुमेर पिता गंगाराम जाति सौंधिया	10	134.770✓
12			भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया	11	219.290✓
13			दशरथ सिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया	12	113.050✓
14			धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया	13	118.580✓

15	जोगेन्द्रसिंह पिता धूलसिंह, भवरी बाई बेवा धूलसिंह जाति सौंधिया	14 (i)	101.470 ✓
16	भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया	14 (ii)	99.040 ✓
17	सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया	14 (iii)	89.620 ✓
18	कालूसिंह पिता रतनलाल जाति सौंधिया	15	105.470 ✓
19	रोड़जी पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	16	53.400 ✓
20	रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	17	28.440 ✓
21	चेनासिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	18	55.160 ✓
22	देवसिंह पिता नानजी जाति सौंधिया	19	117.860 ✓
23	केशरसिंह पिता नानजी, गोपाल, बलवान पिता केशर जाति सौंधिया	20	132.260 ✓
24	मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	21	175.000 ✓
25	इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	22	137.270 ✓
26	गजराजसिंह पिता इन्दरसिंह जाति सौंधिया	23	163.900 ✓
27	भारतसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	24	264.010 ✓
28	सम्पत बाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया	25	28.050 ✓
29	ललितकुमार पिता बाबूलाल जाति सौंधिया	26 (i)	393.030 ✓
30	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	26 (ii)	136.360 ✓
31	गिरवरसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	27 (i)	51.320 ✓
32	मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौंधिया	27 (ii)	51.320 ✓
33	भैरोसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	28	212.770 ✓
34	विक्रमसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	29	210.750 ✓
35	रामसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंधिया	30	149.710 ✓
36	बीरम पिता गवाजी जाति सौंधिया	31	73.300 ✓
37	धूली बाई बेवा छोटेलाल जाति सौंधिया	32	129.010 ✓
38	श्रीलाल पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया	33 (i)	80.300 ✓
39	भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया	33 (ii)	80.300 ✓
40	लखनसिंह पिता श्रीलाल जाति सौंधिया	33 (ii)	54.000 ✓
41	लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	34	191.490 ✓
42	रोड़जी पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	35	111.240 ✓
43	कुमेरसिंह पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	36	129.120 ✓
44	सूरज पिता रोड़जी जाति सौंधिया	37	35.230 ✓
45	कैलाश बाई बेवा शिवनारायण जाति ब्राह्मण	38	139.730 ✓
46	रमेश पिता कालूजी, बापूलाल पिता कालूजी जाति चमार	39	184.240 ✓
47	गणपत पिता भागचंद जाति चमार	40(i)	170.690 ✓
48	रामप्रसाद पिता गनपत जाति चमार	40(ii)	109.670 ✓
49	मांगीलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार	40(iii)	47.300 ✓

50	गोकुल पिता कालुजी जाति चमार	41	66.980 ✓
51	दरयावसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया	42(i)	69.000 ✓
52	मेहरबानसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया	42(ii)	73.390 ✓
53	धूलीबाई बेवा अनारसिंह जाति सौधिया	43	220.460 ✓
54	कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया	44(i)	63.740 ✓
55	रोड़जी पिता शिवसिंह जाति सौधिया	44(ii)	63.740 ✓
56	प्रेमनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया	44(iii)	63.740 ✓
57	सत्यनारायण पिता कुमेरसिंह जाति सौधिया	45(i)	161.340 ✓
58	विष्णु पिता कुमेरसिंह जाति सौधिया	45(ii)	161.340 ✓
59	रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया	46(i)	176.570 ✓
60	गोरधन पिता रामनारायण जाति सौधिया	46(ii)	176.570 ✓
61	रोड़जी पिता शिवसिंह जाति सौधिया	47	343.510 ✓
62	प्रेमनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया	48	362.200 ✓
63	हिन्दुसिंह पिता भीमाजी जाति सौधिया	49	112.660 ✓
64	कालूराम पिता घीसालाल जाति सेन	50	166.870 ✓
65	गुलाबसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया	51(i)	133.660 ✓
66	भवानीसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया	51(ii)	133.420 ✓
67	प्रभूलाल पिता किशनलाल जाति बढई	52	172.320 ✓
68	मांगीबाई / हरीसिंह पिता बीरमजी जाति बढई	53(i)	41.860 ✓
69	छोटेलाल पिता भोनजी जाति बढई	53(ii)	54.820 ✓
70	कमल पिता छोटेलाल जाति बढई	53(iii)	41.860 ✓
71	बनेसिंह पिता पूरजी जाति सौधिया	54	181.770 ✓
72	जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौधिया	55(i)	176.910 ✓
73	कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया	55(ii)	176.910 ✓
74	मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया	55(iii)	176.910 ✓
75	विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया	56(i)	173.730 ✓
76	हिन्दुसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया	56(ii)	173.730 ✓
77	सरजनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया	57	123.380 ✓
78	रोड़ीबाई / मोहनलाल जाति सौधिया	58	209.150 ✓
79	राजेन्द्र पिता भीमसिंह जाति सौधिया	59	149.070 ✓
80	फतेसिंह पिता उंकारसिंह जाति सौधिया लखन पिता फतेसिंह जाति सौधिया ज्ञानसिंह पिता फतेसिंह जाति सौधिया	60	131.650 ✓
81	करणसिंह पिता उंकारजी जाति सौधिया	61(i)	54.800 ✓
82	प्रेमसिंह पिता उंकारजी जाति सौधिया	61(ii)	61.450 ✓
83	धीरपसिंह पिता उंकार जाति सौधिया रामनिवास पिता धीरपसिंह जाति सौधिया	62	102.430 ✓
84	मुन्नालाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन	63(i)	68.600 ✓
85	देवसिंह पिता मुन्नालाल जाति हरिजन	63(ii)	61.260 ✓
86	रामराज पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(i)	35.360 ✓
87	पप्पूसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(ii)	51.380 ✓
88	पर्वतसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(iii)	42.350 ✓
89	मनोहर पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(iv)	80.400 ✓
90	देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	64(v)	108.240 ✓



91	कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया	65	142.300 ✓
92	मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	66(i)	26.400 ✓
93	जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	66(ii)	26.400 ✓
94	कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	66(iii)	26.400 ✓
95	सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	66(iv)	26.400 ✓
96	मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	66(v)	26.400 ✓
97	गुलाबसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	67	66.740 ✓
98	मांगीलाल पिता बिहारीलाल जाति बैरागी	68	33.840 ✓
99	कलाबाई पत्नि हजारीलाल, मुकेश पिता हजारीलाल जाति हरिजन	69	94.710 ✓
100	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया	70	200.260 ✓
योग :-			12407.800
			या (हे.मे) 1.241

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11778-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मणपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम लक्ष्मणपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
1	कन्हैयालाल, पर्वतसिंह, रेशमबाई पिता देवीलाल गुरोड़ीबाई बेवा देवीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	235/3/1 98/1	0.035 0.007	0.035 0.007
योग		2	0.042 ✓	0.042 ✓
2	मोतीलाल पिता गिरधारी, बादामबाई बेवा गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	235/3/2	0.036	0.036
योग		1	0.036 ✓	0.036 ✓
3	गोपीलाल, चैनसिंह, गुलाबसिंह, गंगाराम, गोरबाई, सम्पतबाई, कंचीबाई पिता अमरा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	73	0.228	0.228
योग		1	0.228 ✓	0.228 ✓
4	करणसिंह, गोपीलाल, मांगीलाल, प्रभूलाल, पांचूलाल पिता दोलजी, चैनसिंह, देवीसिंह पिता हजारी, गिरधारी, चंदा पिता धीसालाल, अमरीबाई पिता धीसालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	89	0.013	0.013
योग		1	0.013 ✓	0.013 ✓
5	गोपीलाल, गुलाबसिंह पिता अमरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	234/1	0.328	0.328
योग		1	0.328 ✓	0.328 ✓
6	नन्दूबाई, तुलसीबाई, जड़ावबाई, लच्छीबाई पिता ईसर, गोरधन, बंशीलाल, मांगीलाल पिता ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	128	0.013	0.013
योग		1	0.013 ✓	0.013 ✓
7	मांगीलाल पिता ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	136/1	0.144	0.144
योग		1	0.144 ✓	0.144 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
8	हीरालाल पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी ज.व.स्वामी	244/3/2	0.407 /	0.100
	योग	1	0.407 /	0.100 /
9	गिरधारी पिता घीसा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी ✓	281/2/3	0.675 /	0.200 /
	योग	1	0.675 /	0.200 /
10	रामनारायण, मौरमबाई पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	179	0.051	0.051
	✓	190	0.860	0.860
	✓	211/1	0.758	0.758
	✓	212/3	0.063	0.050
	✓	213	0.076	0.026
	✓	217/2/3	0.215	0.100
	✓	218	0.582	0.582
	✓	272/3	0.595	0.595
	✓	215/288	1.202	0.126
	✓	244/2	1.492	1.492
	ज.व.स्वामी ✓	147	0.008	0.008
	✓	219/3	0.089	0.089
	योग	12	5.991 /	4.737 ✓
11	चन्द्रर पिता घीसालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी ✓	194/1	0.127	0.127
	योग	1	0.127 /	0.127 /
12	भंवरलाल, बाबूलाल, श्रीलाल, मोतीबाई, मांगीबाई, सौरमबाई पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी ✓	200	0.240	0.240
	योग	1	0.240 /	0.240 /
13	मु.कंवरीबाई बेवा रामकिशन, बीरम पिता रामकिशन हि. 2 पैसे देवचंद पिता गंगाराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	211/2/1	0.412	0.412
	✓	212/2/1	0.095	0.095
	✓	224/5/1	0.051	0.051
	योग	3	0.558 /	0.558 /

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	7
14	मोरसिंह पिता रामसिंह जाति तंवर नि.ग्राम भू-स्वामी	211/2/2 212/2/2	0.284 0.095	0.284 0.095
	योग	2	0.379 ✓	0.379 ✓
15	मोतीलाल, किशोर पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	224/5/2 235/4/2	0.050 0.183	0.050 0.183
	योग	2	0.233 ✓	0.233 ✓
16	करणसिंह पिता दौलजी जाति लोड़ा नि. ग्राम	229/3/1 225/4/1/1	0.027 0.015	0.027 0.015
	योग	2	0.042 ✓	0.042 ✓
17	मांगीलाल पिता दौलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	244/3/1/3	0.037	0.037
	योग	1	0.037 ✓	0.037 ✓
18	भंवरीबाई बेवा मांगीलाल, रामप्रसाद, इन्दरसिंह, धीरपसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	233	0.797	0.297
	योग	1	0.797 ✓	0.297 ✓
19	गंगाराम पिता अमरसिंह, गोरधनसिंह पिता चैनसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	234/2	0.327	0.327
	योग	1	0.327 ✓	0.327 ✓
20	सज्जनबाई पति रामनारायण जाति तंवर नि.ग्राम भू-स्वामी	235/1	0.772	0.700
	योग	1	0.772 ✓	0.700 ✓
21	बद्रीलाल, बापूलाल, मोड़सिंह पिता रामसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	225/3/4	0.063	0.063
	योग	1	0.063 ✓	0.063 ✓
22	बंशीलाल पिता ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	192/1	0.063	0.063
	योग	1	0.063 ✓	0.063 ✓
23	मोरसिंह पिता काशीराम, नौरंगबाई पिता काशीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	202/4	0.044	0.044
	योग	1	0.044 ✓	0.044 ✓
24	गोस्धन, बंशीलाल, मांगीलाल पिता ईसर, नन्दूबाई तुलसीबाई, जड़ावबाई, लच्छीबाई पुत्री ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	274/2/4	0.307	0.307
	योग	1	0.307 ✓	0.307 ✓
25	करणसिंह पिता दौलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	220/1/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048 ✓	0.048 ✓
26	भागचन्द पिता रामलाल, भंवरीबाई, कमलीबाई, रेशमबाई पिता रामलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	226/2	0.288	0.288
	योग	1	0.288 ✓	0.288 ✓
27	चैनसिंह पिता हजारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	230/1/1	0.101	0.101
	योग	1	0.101 ✓	0.101 ✓
28	नाथू पिता प्यारा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	231/5	0.404	0.404
	योग	1	0.404 ✓	0.404 ✓
	कुलयोग :-	45	12.707	10.099

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11779-अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम रायपुरिया घाटा के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 216 रकबा 0.076 हेक्टेयर, 232 रकबा 0.025 हेक्टेयर, 257 रकबा 0.911 हेक्टेयर, 219 रकबा 1.896 हेक्टेयर एवं 220 रकबा 0.038 हेक्टेयर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम रायपुरिया घाटा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	5
1			शिवकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत	1	206.800
2			जुगराजसिंह पिता अजुर्नसिंह जाति राजपूत	2	23.240
3			जुगराजसिंह पिता अजुर्नसिंह जाति राजपूत	3/1	73.360
4			लाइसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत	3/2	98.960
5			शेरसिंह पिता अजुर्नसिंह जाति राजपूत	3/3	49.840
6			दिलीपसिंह पिता अजुर्नसिंह जाति राजपूत	3/4	50.890
7			कंवरबाई बेवा अजुर्नसिंह जाति राजपूत	3/5	12.870
8			कुमेरसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	4	54.400
9			मोतीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	5/1	56.550
10			विजयेन्द्रसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत	5/2	70.130
11			इन्द्रपालसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	6/1	145.750
12			सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	6/2	129.060
13			नन्दाकुंवर बेवा हिन्दुसिंह जाति राजपूत	7/1	30.400
14			जितेन्द्रसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत	7/2	73.950
15			भारतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत	7/3	25.200
16			अमृतसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत	7/4	64.770
17			भगवानसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत	7/5	26.910

18		लोकेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत	7/6	26.910
19		रघुवीरसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत	8/1	41.620
20		मुकेश पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	8/2	12.180
21		राजेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	8/3	12.800
22		जसरथसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत	8/4	14.400
23		नरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	8/5	22.040
24		ऐलकारसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत	8/6	27.720
25		भारतसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत	9/1	41.230
26		कैलाशसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत	9/2	43.440
27		गोपालकुंवर पिता भारतसिंह जाति राजपूत	9/3	64.000
28		तंवरलाल पिता हरिनारायनसिंह जाति राजपूत	10/1	67.640
29		विपेन्द्रसिंह पिता हरिनारायनसिंह जाति राजपूत	10/2	54.760
30		हरिनारायनसिंह पिता सैतानसिंह जाति राजपूत	10/3	254.640
31		ज्ञानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत	11/1	107.950
32		देवेन्द्रसिंह पिता ज्ञानसिंह जाति राजपूत	11/2	6.510
33		भंवरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत	12/1	28.800
34		राजेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत	12/2	21.600
35		कैलाश पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	13/1	52.250
36		प्रेमकुंवर पत्नि शम्भूसिंह जाति राजपूत	13/2	87.250
37		रेखाकुंवर पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत	13/3	20.400
38		भंवरलाल पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	14	91.940
39		तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	15/1	74.730
40		कमलसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	15/2	74.730
41		बनेसिंह पिता परथीसिंह जाति राजपूत	16/1	47.950
42		नन्दलाल पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत	17/1	83.160
43		चन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत	17/2	46.750
44		अजयसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत	18	87.180
45		कैलाशसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	19/1	67.080
46		सन्तोषकुंवर पति कैलाशसिंह जाति राजपूत	19/2	67.080
47		रानी पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत	19/3	67.080
48		विक्रमसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत	20/1	42.880
49		धापुबाई पति ऐलकारसिंह जाति राजपूत	20/2	10.560
50		मेहरबानसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत	21/1	30.200
51		शिथुपाल पिता मेहरबानसिंह जाति राजपूत	21/2	28.480

52		श्रीपालसिंह पिता मेहरबानसिंह जाति राजपूत	21/3	44.460
53		भगवतसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत	22	45.330
54		रघुवीरसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत	23	50.460
55		सुमेरसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत	24/1	122.000
56		कृष्णाबाई पति सुमेरसिंह जाति राजपूत	24/2	143.440
57		भंवरलालसिंह पिता रतनसिंह, बापूसिंह पिता रतनसिंह, कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह, भेरूसिंह पिता पदमसिंह, रतनसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत (हिस्सा समान भाग)	25/1	325.200
58		दीपकुंवर पति भगवानसिंह जाति राजपूत	26/1	53.340
59		दिग्पालसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत	26/2	266.460
60		लाखनसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत	27	23.100
61		बृजसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत	28/1	57.620
62		किशोरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत	28/2	50.890
63		किशोरसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत	29/1	80.240
64		किशोरसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत	29/2	25.600
65		होकमसिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत	30/1	28.480
66		दीपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत	30/2	19.200
67		लाड़कुंवर बेवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत	30/3	14.400
68		राजेन्द्रसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत	31	49.960
69		बलरामसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत	32/1	37.080
70		नरेन्द्रकुंवर पति बलरामसिंह जाति राजपूत	32/2	25.080
71		धमेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत	33/1	55.030
72		उदयसिंह पिता अचलसिंह जाति राजपूत	33/2	53.090
73		जितेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत	33/3	35.740
74		मुन्नीबाई बेवा प्रतापसिंह जाति राजपूत	33/4	50.520
75		बृजेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपूत	33/5	22.680
76		शिवसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत	34/1	100.600
77		मेहताबसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत	34/2	56.900
78		शिवनारायण पिता अमरसिंह जाति हरिजन	35/1	42.250
79		रमेश पिता अमरसिंह जाति हरिजन	35/2	42.250
80		देवबाई बेवा अमरसिंह जाति हरिजन	35/3	42.250
81		मुन्नालाल पिता शंकरलाल, देवेन्द्र पिता मुन्नालाल	36	89.390
		लक्ष्मीनारायण पिता मुन्नालाल		
		राहुल पिता मुन्नालाल		
		(हिस्सा समान भाग)		

82	हजारीलाल पिता शंकरलाल जाति हरिजन	37/1	72.080
83	शिवलाल पिता हजारीलाल जाति हरिजन	37/2	14.790
84	जितेन्द्र पिता हजारीलाल जाति हरिजन	37/3	14.790
85	बनेसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति हरिजन	38/1	36.830
86	विक्रमसिंह पिता बनेसिंह जाति हरिजन	38/2	35.430
87	भंवरलाल पिता कनीराम, सुन्दरबाई बेवा कनीराम, रामचरण पिता कनीराम, बाबूलाल पिता कनीराम, दिनेश पिता कनीराम, सुनील पिता कनीराम जाति हरिजन (हिस्सा समान भाग)	39	151.410
88	कैलाश कुवर बेवा नारायणसिंह जाति राजपूत	40/1	26.100
89	राजेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	40/2	27.380
90	महेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	40/3	26.970
91	मनोजसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत	41/1	16.380
92	मोनिका पिता मनोजसिंह जाति राजपूत	41/2	17.200
93	नरेन्द्रकुंवर बेवा बापूसिंह जाति राजपूत	41/3	16.380
94	प्रदीपसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत	41/4	9.750
95	सूरजसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत	41/5	6.240
96	शिवनारायण पिता अमरसिंह जाति हरिजन	42/1	30.000
97	रमेश पिता अमरसिंह जाति हरिजन	42/2	30.000
98	देवबाई पति अमरसिंह जाति हरिजन	42/3	40.000
99	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	43/1	49.560
100	हरीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	43/2	38.430
101	बलरामसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	43/3	41.610
102	कृष्णपालसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	44	50.800
103	मोहनसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति राजपूत	45/1	92.040
104	राजपालसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत	45/2	92.760
105	राजेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत	45/3	92.040
106	ईश्वरसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	46/1	99.070
107	शैलेन्द्रसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	46/2	45.850
108	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/1	45.300
109	कृष्णपालसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2	29.100
110	हरीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/3	22.850
111	बलरामसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/4	28.380
112	तंवरलाल पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	48/1	189.650
113	जितेन्द्रसिंह पिता तंवरलाल जाति राजपूत	48/2	45.600

114		चतरभानसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	48/3	199.090
115		श्रीपालसिंह पिता चतरभानसिंह जाति राजपूत	48/4	45.600
116		कृष्णाकुंवर पिता मोकमसिंह जाति राजपूत	48/5	51.250
117		वृजकुंवर पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	48/6	51.250
118		नीतिकुंवर पिता तंवरलाल जाति राजपूत	48/7	51.550
119		शिवराजसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	49/1	68.400
120		रघुनन्दनसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	49/2	45.270
121		तंवरलाल पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत	49/3	38.020
122		हरनाथसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत	49/4	31.730
123		सन्दीपसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत	49/5	39.880
124		गजराजसिंह पिता डोंगरसिंह जाति राजपूत	50/1	17.020
125		अन्तरसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत	50/2	14.820
126		कृष्णपालसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत	50/3	31.400
127		भंवरलाल पिता गजराजसिंह जाति राजपूत	50/4	30.810
128		आकाश पिता भंवरलाल जाति राजपूत	50/5	36.050
129		अमन पिता भंवरलाल जाति राजपूत	50/6	36.050
130		रघुवीरसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत	51/1	64.680
131		मेहरबानसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत	51/2	72.400
132		गजेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	51/3	15.300
133		रमेश शर्मा पिता बैजनाथ जाति ब्राह्मण	52	47.710
134		अनारसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत	53/1	33.690
135		गुलाबसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत	53/2	33.690
136		रतनकुंवर बैवा गोपालसिंह जाति राजपूत	53/3	33.690
137		चन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत	54/1	32.280
138		जितेन्द्रसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति राजपूत	54/2	31.800
139		उदयसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत	55/1	90.800
140		जसरथसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत	55/2	17.500
141		भंवरलाल पिता रूपसिंह जाति राजपूत	56	57.000
142		तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	57	26.400
143		दरबारसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	58	30.000
144		दीपकुंवर पति इन्द्रसिंह जाति राजपूत	59/1	33.280
145		शिवपाल पिता इन्द्रसिंह जाति राजपूत	59/2	110.250
146		शिवराजसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत	60	13.160



147	मनीषाकुंवर पति वीरेन्द्रसिंह जाति राजपूत	61/1	28.580
148	प्रेमसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत	61/2	53.990
149	वीरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत	61/3	53.990
150	कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत	67/1	65.670
151	भेरूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	67/2	51.390
152	केदारकुंवर पति पदमसिंह जाति राजपूत	67/3	64.640
153	कैलाशसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत	68/1	75.640
154	गुडडीबाई पति कैलाशसिंह जाति राजपूत	68/2	23.790
155	रेशमबाई पति सजनसिंह जाति राजपूत	68/3	56.260
156	चरणसिंह पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत	68/4	51.300
157	कृष्णपाल पिता श्री गजराजसिंह जाति राजपूत	69	77.400
158	दुलेसिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत	70/1	82.500
159	भंवरलाल पिता दुलेसिंह जाति राजपूत	70/2	77.290
160	भारतसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत	70/3	76.970
161	लाखनसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत	70/4	76.390
162	झुमाकुंवर बेवा विजयसिंह जाति राजपूत	70/5	43.340
163	विष्णुकुंवर बेवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत	71/1	81.590
164	सन्तोषकुंवर बेवा भोनीसिंह जाति राजपूत	71/2	81.590
165	दीपसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत	72	126.530
166	गोविन्दसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत	73/1	23.280
167	भंवरलाल पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	73/2	21.100
168	दयालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	73/3	21.100
169	विष्णुकुंवर पति तंवरलाल जाति राजपूत	74	44.080
170	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	75	126.710
171	भीमसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत	76/1	61.880
172	नेपालसिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत	76/2	43.390
173	कमलसिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत	76/3	39.590
174	भंवरलाल पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत	77	53.000
175	मनोहरसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत	78/1	64.700

176			धमेन्द्रसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत	78/2	63.630
177			श्यामकुंवर बेवा बहादुरसिंह जाति राजपूत	79/1	48.840
178			रतनसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपूत	79/2	87.440
179			जगदीशसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपूत	79/3	31.020
180			बापू पिता शंकर, मोरसिंह पिता बापू, राहुल पिता बापू, पवन पिता बापू जाति हरिजन	80	103.610
<b>कुल योग :-</b>					<b>10222.870</b>
				वा (हे.मै)	<b>1.022</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजरव) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्रमांक 11822-भू-अर्जन-2017

### अनुसूची-1 का प्रकाशन

क्र. 2112-री-1-भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 01-अ-82-14-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :-

#### अनुसूची (1)

- (1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला - राजगढ़
- (ख) तहसील - ब्यावरा
- (ग) ग्राम - टोंका एवं नेठाठारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - ग्राम टोंका, नेठाठारी

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्ट. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1.	निजि भूमि टोंका	6.865	0.362	7.227
2.	निजि भूमि नेठाठारी	0.220	-	0.220
<b>कुल योग</b>		<b>7.085</b>	<b>0.362</b>	<b>7.447</b>

#### अनुसूची (2)

टोंका तालाब योजना में आने वाली निजि भूमि का विवरण (पूरक प्रकरण)

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	राम चन्द्र पिता कनीराम जाति लोदा, ग्राम टोंका	339 /	0.152 /	0.010	0.049	0.059
2.	प्रेमसिंह पिता भागमल, जाति लोदा, ग्राम टोंका	249/385	1.378	0.328	-	0.328
3	जालम पिता कन्हैयालाल, जाति भील,	110/19	0.800	0.670	-	0.670

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम टोंका					
4	मिश्रीलाल पिता देवीराम, जाति लौदा, ग्राम टोंका	181/2/1	0.133	0.043	-	0.043
5	रोड़िया पिता शंकर, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/5	0.111	0.111	-	0.111
6	बृजराज सिंह पिता केशर सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	191/3/1	0.210	0.210	-	0.210
		193/1	0.595	0.200	-	0.200
		191/2	0.443	0.200	-	0.200
		3		0.610	-	0.610
7	फतेसिंह पिता केशर सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	191/3/2	0.309	0.309	-	0.309
		192/1	0.949	0.080	-	0.080
		2		0.389		0.389
8	खेमा पिता देवीराम, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/2	0.111	0.111	-	0.111
9	गोविन्दराम पिता रुघनाथ, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/4/2	0.055	0.055	-	0.055
		226/2/2	0.854	0.400	-	0.400
		2		0.455	-	0.455
10	कन्हैयालाल पिता रुघनाथ, जाति लौदा, ग्राम टोंका	183/4/1	0.056	0.056	-	0.056
		226/2/1	0.854	0.400	-	0.400
		2		0.456	-	0.456
11	रामकुंवर बाई बेवा हरिकिशन, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	181/1/1	0.253	0.253	-	0.253
12	हरिसिंह पिता दुर्गा लाल, पुनी बाई, मेवा बाई, सुगन बाई पुत्री दुर्गालाल, जाति लोदा, ग्राम टोंका	254	1.063	0.019	-	0.019
13	मांगीलाल पिता रामा जाति लोदा	249/1	0.369	0.369	-	0.369
14	शिवराज सिंह पिता कल्याण सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	253/1	0.531	0.125	-	0.125
15	नन्द कुंवर वेवा भोनी सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	255/1/2	0.253	0.125	-	0.125

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
16	छोटेलाल पिता देवीराम, जाति लोदा, ग्राम टोंका	181/2/2	0.133	0.045	-	0.045
17	हजारीलाल पिता भंवरजी, जाति लोदा, ग्राम टोंका	252/3	0.560	0.090	-	0.090
18	तेजपाल सिंह, विश्वनाथ सिंह पिता गजेन्द्रसिंह, पेप कुंवर बेवा गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	246/1	1.429	0.200	-	0.200
19	उच्चप कुंवर पति प्रभुनाथ सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका	189	0.063	-	0.063	0.063
20	रामसिंह, नाथूलाल पिता प्रभुलाल, जानकीबाई पति स्व. प्रभुलाल जाति लोधा नि.ग्रा. टोंका	183/3	0.111	0.111	-	0.111
		196/2	0.867	0.867	-	0.867
		2		0.978		0.978
21	सुरेश पिता पन्नालाल, जाति लौदा, ग्राम टोंका	191/1/3	0.210	0.026	-	0.026
22	गुलाब बाई पति जगन्नाथ, जाति लोदा, ग्राम टोंका	227/1	0.399	0.013	-	0.013
23	रेशम बाई पुत्री गोदिया, जाति चमार, ग्राम टोंका	9/8	1.012	0.140	-	0.140
24	सोनी बाई पति मिश्रीलाल, जाति लोदा, ग्राम टोंका	18/3	0.530	0.026	-	0.026
25	राय सिंह पिता गोविंदराम, जाति चमार, ग्राम टोंका	100/2/1	0.495	0.008	-	0.008
26	जालम सिंह, देवराज सिंह, नेपाल सिंह, सोनाथ सिंह पिता भीम सिंह, हेम कुंवर वेबा भीम सिंह जाति राजपूत, ग्राम टोंका	341/1/3	0.269	0.079	-	0.079
27	हरिकिशन/भंवरजी जाति लोदा	252/2	0.560	0.020	-	0.020
28	नारायण कुंवर पति शैतान सिंह जाति राजपूत, नि. ग्रा. टोंका	255/1/1	0.253	0.253	-	0.253
29	कमल सिंह पिता शैतानसिंह जाति राजपूत, ग्राम टोंका	220/1/1	0.916	0.094	-	0.094
30	जशवन्त सिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत, नि.ग्रा. - टोंका	220/1/2	0.917	0.094	-	0.094
31	भूरी बाई पति राम स्वरूप जाति लोदा नि.ग्रा. भूस्वामी	192/2/2	0.290	0.048	-	0.048

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
32	नंदजी पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्रा. टोंका	110/7/2/1	0.348	0.014	-	0.014
33	कैलाश पिता रोड़जी जाति लोधा ग्राम टोंका	110/7/2/2	0.063	0.036	-	0.036
34	शिवलाल / गोपीलाल जाति लोधा नि. ग्रा. टोंका नानी पिता गोपीलाल	110/8/2	0.759	0.008	-	0.008
35	रबूदी बाई पति छोटेलाल लोधा नि.ग्रा. टोंका	9/4/1	0.569	0.008	-	0.008
36	रामचरण पिता ग्यारस्या जाति लोदा	196/1/1	0.062	0.062	-	0.062
		205/2	0.148	0.148	-	0.148
		<b>2</b>		<b>0.210</b>	-	<b>0.210</b>
37	बुधराम पिता ग्यारस्या जाति लोदा	196/1/2	0.062	0.062	-	0.062
		205/1	0.149	0.149	-	0.149
		<b>2</b>		<b>0.211</b>	-	<b>0.211</b>
38	भारत पिता पन्नालाल जाति लोदा	225/1/1	0.190	0.190	-	0.190
39	सावित्री बाई पति हरिदास बैरागी	226/1	1.103	-	0.250	0.250
	<b>योग</b>			<b>6.865</b>	<b>0.362</b>	<b>7.227</b>

**ग्राम - नेठाठारी तहसील - ब्यावरा जिला राजगढ़**

1	रणवीरसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत ग्राम - नेठाठारी	149/1/3	1.116	0.220	-	0.220
	<b>योग</b>			<b>0.220</b>	-	<b>0.220</b>
	<b>कुल योग</b>			<b>7.085</b>	<b>0.362</b>	<b>7.447</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - टोंका तालाब योजना के नहर एवं डूब क्षेत्र के लिये भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड ब्यावरा के न्यायालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 11823/17-2-17

प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नेशबोरदा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नेशबोरदा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	नन्दनसिंह, मोतीलाल, देवसिंह, रामनारायण पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम गोगड़िया	22/1	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
2	प्रेमसिंह पिता माधूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम घोघड़िया स्वामी	22/2	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
3	कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	24/5 29/5	0.379 2.782	0.379 2.782
	योग	2	3.161	3.161
4	मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/3/2	0.927	0.927
	योग	1	0.927	0.927
5	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/3 9/3 11/3 29/1/13	0.054 0.054 0.060 0.363	0.054 0.054 0.060 0.363
	योग	4	0.531	0.531
6	रामरतन पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4 9/4 10/4 11/4	0.054 0.055 0.028 0.059	0.054 0.055 0.028 0.059
	योग	4	0.196	0.196
7	कृष्णबल्लभ पिता प्यारेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/5 9/5 10/5 11/5 29/1/18	0.055 0.054 0.029 0.059 0.365	0.055 0.054 0.029 0.059 0.365
	योग	5	0.562	0.562
8	नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/6 9/6 10/6 11/6 29/1/12	0.055 0.055 0.029 0.059 0.364	0.055 0.055 0.029 0.059 0.364
	योग	5	0.562	0.562
9	विजयसिंह पिता करणसिंह, धूलीबाई बेवा करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	2/7 9/7 10/7 11/7	0.072 0.072 0.038 0.079	0.072 0.072 0.038 0.079
	योग	4	0.261	0.261

10	सजनसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/8/1	0.024	0.024
		9/8/1	0.024	0.024
		10/8/1	0.013	0.013
		11/8/1	0.026	0.026
		29/1/9	0.162	0.162
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0.249</b>	<b>0.249</b>
11	जगदीश पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/8/2	0.025	0.025
		9/8/2	0.024	0.024
		10/8/2	0.013	0.013
		11/8/2	0.026	0.026
		29/1/10	0.162	0.162
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0.250</b>	<b>0.250</b>
12	प्रतापसिंह पिता दोलजी, लीलाबाई विधवा दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/8/3	0.024	0.024
		9/8/3	0.025	0.025
		10/8/3	0.012	0.012
		11/8/3	0.027	0.027
		29/1/11	0.163	0.163
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0.251</b>	<b>0.251</b>
13	बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/9	0.073	0.073
		9/9	0.073	0.073
		10/9	0.038	0.038
		11/9	0.079	0.079
		29/1/8	0.484	0.290
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0.747</b>	<b>0.553</b>
14	सतीश ना.बा.पिता चन्द्रसिंह, अक्ताबाई राखी, पूजा ए काली ना.बा. पुत्री चन्द्रसिंह सर.माता ललताबाई देवा चन्द्रसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/17	0.090	0.090
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.090</b>	<b>0.090</b>
15	कमलसिंह पिता रामरतन, रामकलाबाई पुत्री रामरतन जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/16	0.090	0.090
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.090</b>	<b>0.090</b>
16	यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/15	0.091	0.091
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.091</b>	<b>0.091</b>
17	पृथ्वीसिंह पिता रामरतन जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/14	0.091	0.091
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.091</b>	<b>0.091</b>
18	कैलाशबाई, मनोहरबाई, सुशीलाबाई, पवित्राबाई पिता प्यारेलाल, भवरीबाई देवा प्यारेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	25/1/4	0.354	0.354
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.354</b>	<b>0.354</b>
<b>कुलयोग :-</b>		<b>52</b>	<b>9.172</b>	<b>8.978</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 11831/20-2-17

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम नलखेड़ा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	नलखेड़ा	12.606
कुलयोग :—		12.606

### —: अनुसूची ( 2 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम नलखेड़ा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	करणसिंह पिता किशनलाल लोड़ा	195/1	2.238	2.238
		195/2	4.047	4.047
	योग	2	6.285	6.285
2	रामबगस, गंगाराम, रतन पिता देवा जाति लोड़ा	145/3/2	0.285	0.285
	योग	1	0.285	0.285
3	रतनसिंह पिता रामसिंह लोड़ा	19/4	2.529	0.506
	योग	1	2.529	0.506
4	करणसिंह, बापूलाल पिता किशनलाल, बनेसिंह, कालू पिता भीमा	35/4	0.012	0.012
		180	0.025	0.025
		181	0.013	0.013
	योग	3	0.050	0.050
5	रामचन्द्र पिता मन्ना जाति लोड़ा	38/2	0.050	0.050
		143/3	0.303	0.303
		176/3	0.511	0.511
	योग	3	0.864	0.864
6	हीरा पिता खीमा जाति लोड़ा	89	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
7	राधेश्याम पिता चैनसिंह लोड़ा	143/2	0.304	0.304
	योग	1	0.304	0.304



स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
8	लालजी पिता किशलाल चमार	146/1	0.106	0.106
	योग	1	0.106	0.106
9	छोटिया पिता देवा जाति चमार	146/2	0.107	0.107
		149/3/3	0.220	0.220
	योग	2	0.327	0.327
10	दुलीचंद पिता मांगीलाल चमार	146/3	0.106	0.106
	योग	1	0.106	0.106
11	जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/3	0.393	0.155
	योग	1	0.393	0.155
12	प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/4	0.393	0.393
	योग	1	0.393	0.393
13	बापूलाल पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/5	0.394	0.394
	योग	1	0.394	0.394
14	शिवनारायण पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2/6	0.589	0.330
	योग	1	0.589	0.330
15	रामबगस, गंगाराम पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	147/3/1	0.284	0.284
	योग	1	0.284	0.284
16	रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	147/3/2	0.095	0.095
	योग	1	0.095	0.095
17	नारान पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/1	0.018	0.014
	योग	1	0.018	0.014
18	दूलीचन्द, चैनसिंह पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/2	0.076	0.031
	योग	1	0.076	0.031
19	छोटिया पिता देवा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/3	0.076	0.071
	योग	1	0.076	0.071
20	लालजी पिता किशन जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/4	0.076	0.071
	योग	1	0.076	0.071
21	रतनलाल पिता देवा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/5	0.076	0.071
	योग	1	0.076	0.071
22	प्रभूलाल पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/6	0.055	0.050
	योग	1	0.055	0.050
23	जगन्नाथ पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/7	0.019	0.015
	योग	1	0.019	0.015

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
24	पन्नालाल पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	147/4/8	0.019	0.016
	योग	1	0.019	0.016
25	गोरधन पिता देवाजी लोड़ा	149/4/3	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
26	चैनसिंह पिता मन्ना जाति लोड़ा	194/3	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
27	नारान पिता रामलाल जाति चमार	146/6	0.027	0.027
	योग	1	0.027	0.027
28	रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा	145/3/1	0.094	0.094
	योग	1	0.094	0.094
29	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति चमार	100/1	0.058	0.058
	योग	1	0.058	0.058
30	केशरसिंह पिता देवाजी	154/6/2	0.106	0.106
	योग	1	0.106	0.106
31	पन्नालाल पिता रामलाल जाति चमार	149/3/7 146/8	0.055 0.026	0.055 0.026
	योग	2	0.081	0.081
32	जगन्नाथ पिता रामलाल जाति चमार	149/3/8 146/7	0.055 0.026	0.055 0.026
	योग	2	0.081	0.081
33	रतनलाल पिता देवा जाति चमार	146/4 151/1 152/5 153/5 154/3/5 149/3/5 150/5	0.106 0.026 0.015 0.010 0.465 0.220 0.182	0.106 0.026 0.015 0.010 0.465 0.220 0.182
	योग	7	1.024	1.024
	कुल योग	47	15.202	12.606

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्रमांक 11854-भू-अर्जन-2017

राजगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2015-2016 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम माण्डाखेड़ा

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	माण्डाखेड़ा	67.056	33.862	100.918
कुलयोग :-		67.056	33.862	100.918

### —: अनुसूची ( 2 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम माण्डाखेड़ा

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरसिंह पिता धन्ना धाणुबाई बेवा धन्ना, रोड़जी, मेहरबान पिता रूपा, कांती बाई पिता रूपा, कैंशी बाई बेवा रूपा, प्रेमसिंह, नारू, गोपीलाल, रामप्रसाद पिता हरिसिंह बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी	4/414/2	0.316	0.316	0.000	0.316
योग		1	0.316	0.316	0.000	0.316
2	अमृतलाल जगदीश पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	226/1 29/4/2	0.076 0.263	0.000 0.000	0.076 0.263	0.076 0.263
योग		2	0.339	0.000	0.339	0.339
3	अजब बाई पति शिवनारायण सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	142/2	0.107	0.000	0.107	0.107
योग		1	0.107	0.000	0.107	0.107
4	उँकारसिंह पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	8/403 91/2/2	1.947 0.025	1.930 0.025	0.017 0.000	1.947 0.025
योग		2	1.972	1.955	0.017	1.972

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
5	उम्मेदराम शान्ती लाल प्रवीण मधुबाई आ. रामसिंह माकुबाई बेवा रामसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	330/2	0.824	0.400	0.000	0.400
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.824</b>	<b>0.400</b>	<b>0.000</b>	<b>0.400</b>
6	एलकार सिंह साहुकारसिंह पिता निर्भयसिंह अमीर बाई बेवा निर्भयसिंह सौध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	37/3 48/409/2	0.256 0.304	0.256 0.000	0.000 0.304	0.256 0.304
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.560</b>	<b>0.256</b>	<b>0.304</b>	<b>0.560</b>
7	किशोर पिता देवीलाल पारदी नि. ग्राम भु. स्वामी	252/4/2	0.631	0.160	0.000	0.160
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.631</b>	<b>0.160</b>	<b>0.000</b>	<b>0.160</b>
8	करणसिंह पिता रतनलाल सौध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	70/1/2/2/2	0.449	0.449	0.000	0.449
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.449</b>	<b>0.449</b>	<b>0.000</b>	<b>0.449</b>
9	कमला बाई पति मांगी लाल बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी	370/1/3	2.000	0.950	0.000	0.950
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>0.950</b>	<b>0.000</b>	<b>0.950</b>
10	कालीबाई पति मांगीलाल सौध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	118/2 379/399/3 379/399/5 379/399/6 379/399/7 379/399/8 379/399/9	0.215 0.500 0.580 0.400 0.500 0.365 0.185	0.215 0.500 0.570 0.400 0.500 0.000 0.000	0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.365 0.185	0.215 0.500 0.580 0.400 0.500 0.365 0.185
	<b>योग</b>	<b>7</b>	<b>2.745</b>	<b>2.185</b>	<b>0.560</b>	<b>2.745</b>
11	किशनलाल पिता सेवाजी चारण नि. ग्राम भु. स्वामी	230/406/1 309/395 310/396	0.080 0.025 0.038	0.080 0.000 0.000	0.000 0.025 0.038	0.080 0.025 0.038
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0.143</b>	<b>0.080</b>	<b>0.063</b>	<b>0.143</b>
12	कविता बाई पति रामचन्द्र सौध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	367/18/3	1.147	1.147	0.000	1.147
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>0.000</b>	<b>1.147</b>
13	कंचनबाई बेवा मांगीलाल पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी	379/5/1	1.685	0.000	1.685	1.685
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1.685</b>	<b>0.000</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
14	कमलसिंह पिता पुरालाल सौध्या नि. ग्राम भू- स्वामी	225/4 227/1/4	0.028 0.022	0.000 0.000	0.028 0.022	0.028 0.022
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.050</b>	<b>0.000</b>	<b>0.050</b>	<b>0.050</b>
15	गोरेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	357/5/2 367/1/3	0.018 0.253	0.018 0.000	0.000 0.253	0.018 0.253
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.271</b>	<b>0.018</b>	<b>0.253</b>	<b>0.271</b>
16	गोपाल पिता कनीराम जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	379/399/1/1	5.060	0.000	1.200	1.200
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>5.060</b>	<b>0.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
17	गोपाल पिता रमेशन्द्र चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	232/2	0.124	0.000	0.124	0.124
	योग	1	0.124	0.000	0.124	0.124
18	घीसालाल पिता पित जगन्नाथ पारदी नि. ग्राम भु स्वामी	379/6/1	0.445	0.000	0.445	0.445
	योग	1	0.445	0.000	0.445	0.445
19	चन्द्रसिंह लाखनसिंह पिता अमरसिंह लीलाबाई बेवा. अमरसिंह कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी	3/9	1.696	1.696	0.000	1.696
	योग	1	1.696	1.696	0.000	1.696
20	चन्द्रसिंह पित पुरालाल सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	225/2 227/1/2	0.028 0.023	0.000 0.000	0.028 0.023	0.028 0.023
	योग	2	0.051	0.000	0.051	0.051
21	जतनबाई पति रतनलाल सौध्या नि. ग्राम भु स्वामी	379/4	2.000	2.000	0.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000	0.000	2.000
22	जगदीश पिता मातीलाल सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	5/9 4/414/7	0.443 0.063	0.443 0.063	0.000 0.000	0.443 0.063
	योग	2	0.506	0.506	0.000	0.506
23	जितेन्द्रसिंह ना.बा. पिता निर्भयसिंह सर. माता अमरीबाई बंवा निर्भयसिंह सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	49/2	0.122	0.122	0.000	0.122
	योग	1	0.122	0.122	0.000	0.122
24	जोशन बाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु. स्वामी	6/415/1 370/1/5 369/2/1	0.650 2.000 0.563	0.650 0.620 0.563	0.000 0.000 0.000	0.650 0.620 0.563
	योग	3	3.213	1.833	0.000	1.833
25	जसरत पिता बापुलाल खाती नि. ग्राम भु. स्वामी	57/2/1	0.993	0.353	0.000	0.353
	योग	1	0.993	0.353	0.000	0.353
26	देवराज पिता बापु सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	32/411	0.569	0.000	0.569	0.569
	योग	1	0.569	0.000	0.569	0.569
27	दरोपबाई पति छोटेलाल सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	240/3	0.009	0.000	0.009	0.009
	योग	1	0.009	0.000	0.009	0.009
28	दरियावसिंह पिता प्यारजी सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	33/1	0.100	0.100	0.000	0.100
	योग	1	0.100	0.100	0.000	0.100
29	देवबाई पति मांगीलाल सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	199/402/1 287/2	0.044 0.038	0.044 0.000	0.000 0.038	0.044 0.038
	योग	2	0.082	0.044	0.038	0.082

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
30	देवराज पित बलराम चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	320/397	0.038	0.038	0.000	0.038
		336/1	0.462	0.411	0.000	0.411
	योग	2	0.500	0.449	0.000	0.449
31	देवीसिंह पिता मेहताब सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	11/4/2	0.500	0.500	0.000	0.500
	योग	1	0.500	0.500	0.000	0.500
32	धन्नालाल पिता धीसा चमार नि. ग्राम भु- स्वामी	89/2/2	0.379	0.379	0.000	0.379
		281/3	0.025	0.025	0.000	0.025
	योग	2	0.404	0.404	0.000	0.404
33	धीरपसिंह पिता किशनलाल सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	12/2/2	0.927	0.927	0.000	0.927
		46/4/2	0.012	0.000	0.012	0.012
	योग	2	0.939	0.927	0.012	0.939
34	माधु पिता मेहताब कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी	63/7/1	1.858	1.672	0.000	1.672
	योग	1	1.858	1.672	0.000	1.672
35	नोरंगबाई पति रामचरण सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	360	0.291	0.000	0.189	0.189
		362/2/1	2.529	1.214	0.000	1.214
		367/16/1	2.228	2.228	0.000	2.228
	योग	3	5.048	3.442	0.189	3.631
36	नेनुबाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	71/405	0.544	0.544	0.000	0.544
		187/394	0.038	0.038	0.000	0.038
	योग	2	0.582	0.582	0.000	0.582
37	नारायण सिंह पिता देवजी सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	18/3	1.254	1.158	0.000	1.158
		35/4	0.258	0.258	0.000	0.258
		37/2	0.256	0.256	0.000	0.256
		49/1	0.122	0.122	0.000	0.122
		106/4	0.066	0.066	0.000	0.066
		109/4	0.142	0.142	0.000	0.142
		48/409/1	0.303	0.000	0.303	0.303
		110/4	0.114	0.114	0.000	0.114
		349/1/6	1.000	1.000	0.000	1.000
	योग	9	3.515	3.116	0.303	3.419
38	प्रेमबाई पति नारायणसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	367/18/4	1.147	1.147	0.000	1.147
	योग	1	1.147	1.147	0.000	1.147
39	प्यारजी पिता जगन्नाथ सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	4/414/3	0.190	0.190	0.000	0.190
		4/414/5	0.506	0.506	0.000	0.506
		200/387	0.025	0.000	0.025	0.025
		286/4	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	4	0.759	0.696	0.063	0.759

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
40	फतेहसिंह पिता पूरजी सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	228/1	0.064	0.000	0.064	0.064
		228/2	0.050	0.000	0.050	0.050
		229/1/1	0.011	0.000	0.011	0.011
		229/1/2	0.008	0.000	0.008	0.008
		199/402/2	0.044	0.044	0.000	0.044
		222/1/2	0.100	0.100	0.000	0.100
	287/3	0.026	0.000	0.026	0.026	
	योग	7	0.303	0.144	0.159	0.303
41	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	35/2	0.129	0.129	0.000	0.129
		38/1	0.184	0.184	0.000	0.184
		41/1	0.398	0.398	0.000	0.398
	योग	3	0.711	0.711	0.000	0.711
42	प्रेमसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु-स्वामी	6/415/2	0.653	0.000	0.653	0.653
		3/413/1	0.177	0.000	0.177	0.177
	योग	2	0.830	0.000	0.830	0.830
43	पर्वतसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	12/2/3	0.927	0.927	0.000	0.927
	योग	1	0.927	0.927	0.000	0.927
44	बनेसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	11/7/2	0.505	0.505	0.000	0.505
		112/3/1	0.330	0.297	0.000	0.297
	योग	2	0.835	0.802	0.000	0.802
45	रामचरण, हीरालाल पिता घीसालाल, जगन्नाथ, रामबगस, सालगराम पिता कनीराम जाति दांगी नि. ढकोरा भु-स्वामी	361	0.266	0.000	0.110	0.110
		366	0.051	0.000	0.026	0.026
		367/19	5.059	0.000	4.553	4.553
	योग	3	5.376	0.000	4.689	4.689
46	बीरम पिता किशन चमार नि. ग्राम भु-स्वामी	30/2/2	0.177	0.177	0.000	0.177
	योग	1	0.177	0.177	0.000	0.177
47	भंवरलाल मांगीलाल कालुसिंह रामलाल बनेसिंह नारायण सिंह छोटेलाल आ. दला बंजारा नि. ग्राम भु-स्वामी	4/4/4/4	0.126	0.126	0.000	0.126
		370/4	0.506	0.350	0.000	0.350
	योग	2	0.632	0.476	0.000	0.476
48	भारतसिंह पिता शान्तीलाल देवलबाई बेवा शान्ती लाल चारण नि. ग्राम भु-स्वामी	232/1	0.123	0.000	0.123	0.123
	योग	1	0.123	0.000	0.123	0.123
49	भारतसिंह दिनेश पिता बनेसिंह नारेगबाई बेवा बनेसिंह मांगीलाल छीतरलाल अनारसिंह सुल्तानसिंह होकमसिंह पिता लालजी भुजीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	199/402/3	0.317	0.317	0.000	0.317
		287/1	0.076	0.000	0.076	0.076
		296	0.051	0.051	0.000	0.051
	योग	3	0.444	0.368	0.076	0.444

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
50	भुलीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी	91/2/2	0.025	0.025	0.000	0.025
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.025</b>	<b>0.025</b>	<b>0.000</b>	<b>0.025</b>
51	मांगीलाल पिता पुरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	33/2/1 34/2/1 36/1 222/1	0.108 0.107 0.466 0.100	0.108 0.107 0.466 0.000	0.000 0.000 0.000 0.100	0.108 0.107 0.466 0.100
	<b>योग</b>	<b>4</b>	<b>0.781</b>	<b>0.681</b>	<b>0.100</b>	<b>0.781</b>
52	मोतीलाल पिता केसर जी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	35/1 37/1 55 221/1/1 234/1/1	0.258 0.383 1.303 0.070 0.106	0.258 0.383 1.303 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000 0.070 0.106	0.258 0.383 1.303 0.070 0.106
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>2.120</b>	<b>1.944</b>	<b>0.176</b>	<b>2.120</b>
53	मोहनलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	29/4/1 131/2 226/2	0.510 1.315 0.076	0.247 0.735 0.000	0.000 0.000 0.076	0.247 0.735 0.076
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>1.901</b>	<b>0.982</b>	<b>0.076</b>	<b>1.058</b>
54	मांगीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	34/1 44/2 44/4 227/2 11/7/1	0.190 0.114 0.190 0.012 0.506	0.190 0.114 0.190 0.000 0.058	0.000 0.000 0.000 0.012 0.000	0.190 0.114 0.190 0.012 0.058
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>1.012</b>	<b>0.552</b>	<b>0.012</b>	<b>0.564</b>
55	मानसिंह पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	357/5/4	0.017	0.017	0.000	0.017
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.017</b>	<b>0.017</b>	<b>0.000</b>	<b>0.017</b>
56	मांगीबाई पति देवसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	23/410/2 379/399/4/2	0.348 1.265	0.348 1.265	0.000 0.000	0.348 1.265
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>1.613</b>	<b>1.613</b>	<b>0.000</b>	<b>1.613</b>
57	मांगीलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	94/1 96/1 97/1 101/1	0.291 0.082 0.398 1.164	0.291 0.082 0.398 1.164	0.000 0.000 0.000 0.000	0.291 0.082 0.398 1.164
	<b>योग</b>	<b>4</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>0.000</b>	<b>1.935</b>
58	मांगीलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	357/5/1	0.017	0.017	0.000	0.017
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.017</b>	<b>0.017</b>	<b>0.000</b>	<b>0.017</b>



स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
59	रामचरण पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	229/2	0.065	0.000	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.000	0.065	0.065
60	रामनारायण पिता सबलु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	73/2	0.247	0.000	0.247	0.247
		224/1/1	0.130	0.000	0.130	0.130
	योग	2	0.377	0.000	0.377	0.377
61	रामलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	357/5/5	0.018	0.018	0.000	0.018
	योग	1	0.018	0.018	0.000	0.018
62	रतन पिता भेरू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	11/5	1.770	1.760	0.010	1.770
	योग	1	1.770	1.760	0.010	1.770
63	रामबाबू दत्तक पुत्र मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	33/2/2	0.082	0.082	0.000	0.082
		34/2/2	0.082	0.082	0.000	0.082
		36/2	0.357	0.357	0.000	0.357
	योग	3	0.521	0.521	0.000	0.521
64	रमेशचन्द्र पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	311/10/2	3.886	0.000	3.886	3.886
	योग	1	3.886	0.000	3.886	3.886
65	रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी	372/2/4	0.316	0.316	0.000	0.316
		252/4/4	0.633	0.130	0.000	0.130
	योग	2	0.949	0.446	0.000	0.446
66	रामसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	35/3	0.127	0.127	0.000	0.127
		38/2	0.183	0.183	0.000	0.183
		41/2	0.399	0.399	0.000	0.399
	योग	3	0.709	0.709	0.000	0.709
67	रामकरण पिता हिन्दू सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	246/2/1/3	0.103	0.103	0.000	0.103
	योग	1	0.103	0.103	0.000	0.103
68	रतनलाल हरिसिंह पिता भेरू देवीसिंह हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	223/1/1	0.120	0.000	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.000	0.120	0.120
69	रामसिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	362/1/3/1	1.000	0.000	0.842	0.842
		367/23	0.506	0.000	0.506	0.506
		379/999/1/1/5	0.730	0.000	0.300	0.300
	योग	3	2.236	0.000	1.648	1.648
70	लालसिंह पिता लक्ष्मण चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	50/3	1.494	0.000	1.344	1.344
	योग	1	1.494	0.000	1.344	1.344

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
71	लालजी पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	18/4 37/4 48/409/3 49/3 109/6 221/6	1.254 0.256 0.304 0.123 0.142 0.064	1.254 0.256 0.000 0.123 0.000 0.064	0.000 0.000 0.304 0.000 0.142 0.000	1.254 0.256 0.304 0.123 0.142 0.064
	<b>योग</b>	<b>6</b>	<b>2.143</b>	<b>1.697</b>	<b>0.446</b>	<b>2.143</b>
72	ललताबाई पिता निर्मयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	66/1/1	0.747	0.200	0.000	0.200
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.747</b>	<b>0.200</b>	<b>0.000</b>	<b>0.200</b>
73	विजयसिंह पिता पन्नालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	328 230/406/2 370/1/4	1.884 0.059 0.754	0.436 0.059 0.554	0.000 0.000 0.000	0.436 0.059 0.554
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>2.697</b>	<b>1.049</b>	<b>0.000</b>	<b>1.049</b>
74	शेतानबाई पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी	370/3/2	1.518	1.518	0.000	1.518
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>0.000</b>	<b>1.518</b>
75	शिवनारायण पिता सबलू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	224/2/1	0.136	0.000	0.136	0.136
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.136</b>	<b>0.000</b>	<b>0.136</b>	<b>0.136</b>
76	शिवनारायण पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	12/2/1 12/2/4 46/4/1 229/4	0.464 0.464 0.051 0.034	0.464 0.464 0.000 0.000	0.000 0.000 0.051 0.034	0.464 0.464 0.051 0.034
	<b>योग</b>	<b>4</b>	<b>1.013</b>	<b>0.928</b>	<b>0.085</b>	<b>1.013</b>
77	शम्भु पिता देवीलाल पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी	252/4/1	0.632	0.160	0.000	0.160
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.632</b>	<b>0.160</b>	<b>0.000</b>	<b>0.160</b>
78	संतराबाई पति करण सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	3/413/2	1.151	1.151	0.000	1.151
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1.151</b>	<b>1.151</b>	<b>0.000</b>	<b>1.151</b>
79	सारदार बाई पति उंकार सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	367/1/1 367/18/1 367/18/2 367/1/12 377/407	0.500 0.750 0.750 0.363 0.455	0.000 0.750 0.750 0.363 0.455	0.500 0.000 0.000 0.000 0.000	0.500 0.750 0.750 0.363 0.455
	<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>2.818</b>	<b>2.318</b>	<b>0.500</b>	<b>2.818</b>
80	शान्तीलाल धीरप पिता भागीरथ मु. धापुबाई वि. भागीरथ पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी	252/4/3/1 272/2/1/3	0.633 0.316	0.160 0.316	0.000 0.000	0.160 0.316
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.949</b>	<b>0.476</b>	<b>0.000</b>	<b>0.476</b>
81	सुन्दर बाई पति भंवरलाल बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	367/21	2.370	0.711	0.000	0.711
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>2.370</b>	<b>0.711</b>	<b>0.000</b>	<b>0.711</b>

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
82	सम्पत बाई पत्नी मोतीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	5/13	1.856	1.856	0.000	1.856
	योग	1	1.856	1.856	0.000	1.856
83	हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	11/4/1 379/399/4/1 23/410/1	0.500 1.265 0.348	0.500 1.265 0.348	0.000 0.000 0.000	0.500 1.265 0.348
	योग	3	2.113	2.113	0.000	2.113
84	हमीरसिंह छोटेलाल पिता सांवतसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	342	0.316	0.316	0.000	0.316
	योग	1	0.316	0.316	0.000	0.316
85	हीरालाल पिता भंवरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	33/3 39 40 42 43 46/3 229/3	0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034	0.530 0.063 0.000 0.506 0.013 0.000 0.000	0.015 0.000 0.076 0.000 0.000 0.063 0.034	0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034
	योग	7	1.300	1.112	0.188	1.300
86	हरिसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी	232/3 311/10/1/1 153/390/2 154/391 159/392 160/393	0.123 3.886 0.021 0.025 0.038 0.076	0.000 0.000 0.000 0.025 0.038 0.076	0.123 2.768 0.021 0.000 0.000 0.000	0.123 2.768 0.021 0.025 0.038 0.076
	योग	6	4.169	0.139	2.912	3.051
87	प्रेमसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी	225/3 227/1/3	0.029 0.022	0.000 0.000	0.029 0.022	0.029 0.022
	योग	2	0.051	0.000	0.051	0.051
88	औमप्रकाश भगवानदास कमलदास चन्द्रकला भगवती अशोक पिता केसरदास सुन्दरबाई पति केसरदास बैरागी नि. ग्राम भु- स्वामी	367/1/2	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
89	भंवरिया विजयसिंह धनश्याम पिता कनीराम मु. मीराबाई बेवा कनीराम जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	70/416	0.455	0.000	0.455	0.455
	योग	1	0.455	0.000	0.455	0.455
90	प्रेमसिंह पिता दीपा बरजुबाई बेवा दीपा जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी	4/414/6 367/1/10	0.063 0.500	0.063 0.500	0.000 0.000	0.063 0.500
	योग	2	0.563	0.563	0.000	0.563
91	रघुवीर, दिनेश पिता रामप्रसाद अयोध्याबाई बेवा रामप्रसाद जाति गाडरी नि. ग्राम भु- स्वामी	370/1/2	2.000	0.000	1.400	1.400
	योग	1	2.000	0.000	1.400	1.400

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
92	कंचनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/3	1.000	0.000	0.010	0.010
	योग	1	1.000	0.000	0.010	0.010
93	रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	63/5	2.530	0.000	1.450	1.450
	योग	1	2.530	0.000	1.450	1.450
94	देवबाई, गीताबाई, संतोषबाई, गंगाबाई, रमाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	63/6	0.795	0.000	0.795	0.795
	योग	1	0.795	0.000	0.795	0.795
95	नेनीबाई बेवा दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/2/2/1	1.916	1.916	0.000	1.916
	योग	1	1.916	1.916	0.000	1.916
96	विजयसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भू- स्वामी	225/1 227/1/1	0.029 0.022	0.000 0.000	0.029 0.022	0.029 0.022
	योग	2	0.051	0.000	0.051	0.051
97	सांवल आम्बा पिता उमराव जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	230/1	0.160	0.000	0.160	0.160
	योग	1	0.160	0.000	0.160	0.160
98	छोटेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी	357/5/3	0.018	0.018	0.000	0.018
	योग	1	0.018	0.018	0.000	0.018
99	जोसनाबाई पति विजयसिंह जाति चारण नि. ग्राम भू- स्वामी	362/1/2 369/2/1	1.247 0.563	0.140 0.563	0.000 0.000	0.140 0.563
	योग	2	1.810	0.703	0.000	0.703
100	भंवरलाल पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/4	0.500	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.500	0.000	0.200	0.200
101	कालू पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/5	0.500	0.000	0.300	0.300
	योग	1	0.500	0.000	0.300	0.300
102	धन्ना पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/7	0.378	0.378	0.000	0.378
	योग	1	0.378	0.378	0.000	0.378
103	धन्नालाल पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	368/3/3	0.827	0.827	0.000	0.827
	योग	1	0.827	0.827	0.000	0.827
104	प्रेमसिंह पिता सब्बा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/1/9	0.500	0.000	0.500	0.500
	योग	1	0.500	0.000	0.500	0.500
105	गोपीलाल, लालसिंह पिता धूलजी, बचना बाई बेवा हीराबाई पिता धूलजी, शिवलाल, अगरसिंह पिता भोना, फूलसिंह पिता पेमा मुन्नीबाई बेवा पेमा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	367/4 368/2	0.569 0.759	0.150 0.151	0.000 0.000	0.150 0.151
	योग	2	1.328	0.301	0.000	0.301

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
106	प्रेमबाई पिता मानसिंह जाति बृजा नि.ग्राम भू-स्वामी	369/2/3	0.759	0.759	0.000	0.759
	योग	1	0.759	0.759	0.000	0.759
107	हमीरसिंह पिता सावंतसिंह जाति चारण नि. ग्राम भू-स्वामी	370/5	3.794	2.700	0.000	2.700
	योग	1	3.794	2.700	0.000	2.700
108	किशोर पिता देवीलाल जाति परथी नि.ग्राम भू-स्वामी	372/2/3/3	0.114	0.114	0.000	0.114
	योग	1	0.114	0.114	0.000	0.114
109	माखनलाल पिता किशनलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम अंतरालिया भू- स्वामी	379/2	2.000	0.000	0.200	0.200
	योग	1	2.000	0.000	0.200	0.200
110	मांगीलाल पिता हजारी जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	385/1/2	1.000	0.600	0.000	0.600
	योग	1	1.000	0.600	0.000	0.600
111	चन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2/2	0.158	0.000	0.158	0.158
	योग	1	0.158	0.000	0.158	0.158
112	देवबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/4/2	1.145	0.000	1.145	1.145
	योग	1	1.145	0.000	1.145	1.145
113	नारायणसिंह, रामचन्द्र पिता उंकारसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	296/3	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.000	0.038	0.038
114	पर्वतसिंह, संतोषबाई, सुनीताबाई पिता उंकार, सूरजबाई बेवा उंकारसिंह, नारायणसिंह पिता बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	367/2/1/1	0.230	0.000	0.230	0.230
	योग	1	0.230	0.000	0.230	0.230
115	बल्लभबाई पति प्रेमसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	27/1/2	0.573	0.000	0.573	0.573
	योग	1	0.573	0.000	0.573	0.573
116	रेशबाई पति भगवानसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2/1	0.158	0.000	0.158	0.158
	योग	1	0.158	0.000	0.158	0.158
117	लालसिंह, बजेसिंह पिता मांगीलाल, प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	267/2/4/1	0.234	0.000	0.234	0.234
	योग	1	0.234	0.000	0.234	0.234

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
118	सरदारबाई पिता नवल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	280/2/3	0.015	0.000	0.015	0.015
	योग	1	0.015	0.000	0.015	0.015
119	विष्णु पिता गणपत, सोहदरबाई बेवा गणपत जाति दागी नि. ग्राम भू-स्वामी	368/1/2	2.000	0.000	0.400	0.400
	योग	1	2.000	0.000	0.400	0.400
कुलयोग :-		227	130.016	67.056	33.862	100.918

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 11-अ-82-2016-2017

अलीराजपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटाउदयपुर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम कस्वाजोबट तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

—:: अनुसूची (01) ::—

ग्राम कस्वाजोबट		तहसील जोबट		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	निजी भूमि	3.893	2.082	5.975

—:: अनुसूची (02) ::—

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजेन्द्रसिंह अजमेरसिंह पिता गुलाबसिंह व राबाई बेवा गुलाबसिंह पि. केकडिया जाति भील पता कन्दा भूमि स्वामी।	507	0.000	1.220	1.220	0.000	0.235	0.235
2	मुकाम कुदरसिंह उगरसिंह पिता केसरा इन्दरसिंह गूमान सायदा सेलबाई कस्तुरी पिता रतनसिंह कैलाश मदन रेलम पिता मुकामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	517	1.140	0.000	1.140	0.318	0.000	0.318

3	केलबाई भगडी सुमा पिता सेकडीया व थावला मोहबतसिंह पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	510	0.000	1.260	1.260	0.000	0.573	0.573
4	केलबाई भगडी सुमा पिता सेकडीया व थावला मोहबतसिंह पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	512	0.000	0.370	0.370	0.000	0.306	0.306
5	केलबाई भगडी सुमा पिता सेकडीया व थावला मोहबतसिंह पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	488	0.000	1.640	1.640	0.000	0.392	0.392
6	सकरूसिंह पिता जेराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	561	0.000	1.110	1.110	0.000	0.089	0.089
7	रायसिंह पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी।	563	1.080	0.000	1.080	0.422	0.000	0.422
8	सुन्दरसिंह पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	564	1.010	0.000	1.010	0.223	0.000	0.223
9	सरदार किशन पिता गणपत व हिंगली बेवा गणपत जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	565/1	0.300	0.000	0.300	0.125	0.000	0.125
10	नानका पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	565/2	0.240	0.000	0.240	0.097	0.000	0.097
11	मगन पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	566	0.610	0.000	0.610	0.212	0.000	0.212
12	दिनलिया पिता जंगलियाजाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी।	635	0.720	0.000	0.720	0.104	0.000	0.104
13	सरदार शंकर पिता छगन जाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी।	623/2	2.160	0.000	2.160	1.064	0.000	1.064
14	जुवानसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	623/3	1.480	0.000	1.480	0.194	0.000	0.194
15	सरदार शंकर पिता छगन जाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी।	623/4	0.400	0.000	0.400	0.021	0.000	0.021
16	जुवानसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	623/5	0.720	0.000	0.720	0.512	0.000	0.512
17	कालुसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	624	0.520	0.000	0.520	0.251	0.000	0.251
18	कालुसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	664/623	0.180	0.000	0.180	0.180	0.000	0.180
19	कालुसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	663/623	1.100	0.000	1.100	0.170	0.000	0.170
20	मगन पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	506	0.000	0.600	0.600	0.000	0.487	0.487
	योग:-	20	11.660	6.200	17.860	3.893	2.082	5.975

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-60-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	बक्सवाहा	करी	62.500	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
				जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-61-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	बक्सवाहा	निपनिया	15.000	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
				जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.



प्र. क्र. 04-अ-82-62-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्सवाहा	खतरियां	72.500	अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भंडारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 20 फरवरी 2017

प्र. क्र.-2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	दुर्गापुर	2.46	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की दुर्गापुर माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1) दतिया	(2) दतिया	(3) पिसनारी	(4) 1.10	(5) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	(6) दतिया जिले के अंतर्गत खर्वाघाट मध्यम सिंचाई योजना की पिसनारी माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
	953	0.01	
	1787	0.08	
दतिया, दिनांक 20 फरवरी 2017	1789	0.13	
प्र. क्र. 1-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	1796/1, 1796/2	0.04	
	1800	0.05	
	1801	0.05	
	1802	0.03	
	1803	0.02	
	1811	0.15	
	1821	0.11	
	301	0.16	
अनुसूची	1824/1, 1824/2	0.02	
(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि	1774	0.01	
(क) जिला—दतिया	323	0.09	
(ख) तहसील—दतिया	271	0.01	
(ग) ग्राम—भागोर	246	0.03	
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—5.62 हेक्टेयर.	245	0.11	
खसरा	प्रभावित रकबा	242	0.15
नंबर	(हे. में)	352	0.12
(1)	(2)	355	0.08
3	0.04	354	0.13
20	0.11	325	0.08
23	0.12	326	0.03
24	0.01	324	0.05
105	0.01	329	0.04
106	0.09	331	0.01
107	0.23	269	0.08
123/1, 123/2	0.11	261	0.16
1790	0.26	258	0.06
22	0.01	257	0.02
119	0.09	353	0.01
886	0.01	241	0.04
887	0.04	202	0.19
888	0.04	200	0.04
890	0.02	201	0.12
322	0.09	208	0.08
949	0.19	209	0.03

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 20 फरवरी 2017	
421	0.05	क्र. 3506-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
425	0.14	अनुसूची	
420	0.01	(1) भूमि का वर्णन—	
414	0.02	(क) जिला—धार	
415	0.05	(ख) तहसील—धार	
416	0.03	(ग) ग्राम—जामन्दा	
418	0.04	(घ) अर्जित रकबा—7.235 हैक्टेयर.	
302	0.04	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
270	0.06	(1)	(2)
1822	0.03	281/1	0.089
1823	0.07	281/2	0.014
368	0.11	282/1	0.031
384	0.01	282/2	0.701
379	0.10	282/3	0.549
380	0.12	294/1	0.882
381	0.04	295	0.047
893	0.06	296/1	0.710
891	0.10	297	0.340
350	0.05	305	0.014
358	0.08	298	0.427
369	0.12	340	0.562
113	0.05	342/2	0.342
125	0.02	352/2	0.120
126	0.02	361/1	0.816
122	0.09	359	0.150
120	0.02	358	0.577
कुल प्रभावित सर्वे नम्बर	83	357	0.036
कुल प्रभावित रकबा	5.62	355	0.690
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.		356/1	0.138
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		योग	7.235
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.			
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)
190/2/2	0.303
81/6/3	0.090
81/1/2	0.163
योग . . .	3.783

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3508-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—एकलदुना (दिग्ठान)  
(घ) अर्जित रकबा—3.783 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
54/3	0.633
83/1	0.415
83/2/1	0.025
81/1/1/1	0.073
81/4/1	0.075
81/4/2	0.083
81/3/1	0.081
81/3/2	0.078
81/1/1/2	0.070
81/2/1	0.156
81/5	0.132
80/3/3	0.116
190/3/2	0.010
186/1/3	0.021
79/4	0.110
80/4	0.596
186/2/2	0.120
186/2/3	0.095
190/2/1	0.338

क्र. 3510-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—सिरसौदा  
(घ) अर्जित रकबा—0.390 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
345/3	0.011
347/2	0.379
योग . . .	0.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 20th February 2017

No. 332-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Induction Course (First Phase) for the newly appointed Civil Judges Class II from 2017 Batch from 6th March 2017 to 1st April 2017 in the Academy. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 6th March 2017 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on the mobile number **09424958820** of **Shri K.L. Chourasia**. In case Shri Chourasia cannot be contacted, the participants may contact **Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I** on Mobile No. **08878747939** or to **Shri Pramod Kushwaha, A. G. III** on Mobile No. **09713717147** or on **Office telephone No. 0761-2628679** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur

(Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge, as per the rules of the Academy.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,  
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

Jabalpur, the 22nd February 2017

No. 345-Confdl.-2017-II-2-5-17.—Madhya Pradesh State Judicial Academy (MPSJA) is organizing five Regional Workshops in this financial year from 1st January 2017 to 19th March 2017 on closed Saturdays and Sundays, as per the action plan of XIV Finance Commission for Training of Judicial Officers, with the funds allocated by the State Government under the Head—"Training & Training Material" to the High Court.

In this connection, the **5th Regional Workshop on— Motor Accident claim Cases and Key issue relating to appeals and Revisions** is being organized on **18th & 19th March 2017** at **Chhindwara** in which Judicial Officers of HJS cadre from Balaghat, Betul, Chhindwara, Harda, Hoshangabad, Khandwa, Narsinghpur and Seoni (32 Officers in all), whose names are shown in the endorsement will participate, as per the following conditions:—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment. The District & Sessions Judges of the respective districts are authorized to deal with the letter of adjustment. If any, and exempt the said Judicial Officer looking to his/her exigency under intimation to the Academy.
  2. The Judicial Officers included in the workshop shall have to report for training on 18th March 2017 at 9.30 a.m. at the venue intimated by the District & Sessions Judge, Chhindwara.
  3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
  4. Judicial Officers who will come from places other than the venue of Regional Workshop (Headquarters) may come by their official vehicle or private vehicle. Cost of fuel charges of private vehicles shall be reimbursed to them as per their entitlement according to circular No. F 4-2/2016/Rules/ four dated 5th November 2016 of Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Vallabh Bhawan @ Rs. 6/- per km to attend the workshop.
- Respective District & Sessions Judges from whose districts Judicial Officers have been nominated for the Workshop shall be allotted fund for reimbursement of TA bills of the participant Judicial Officers.
5. The District & Sessions Judge, Chhindwara has to provide all logistic support like arranging public address system, conference hall having capacity to accommodate atleast 35 Judicial Officers etc. required for conducting the said workshop, stay arrangements of the participants/ Officers & Staff of MPSJA, catering services, etc.
  6. During Workshop, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks and dinner on the first day of the Workshop shall be served. On second day, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks shall be provided. The outstation participants shall be provided dinner packs, on request.
  7. Stay arrangement shall be provided on single/ twin sharing basis for the participants.
  8. The District Judge may utilize the services of two of the Judges from District Judiciary for logistic support and they shall be paid remuneration of Rs. 1,000/- per head per workshop and the District Judge shall be paid remuneration of Rs. 1,500/- for guidance and providing logistic support, which shall be adjusted towards their honorarium paid as guest faculty.
- Class III and Class IV employees (two each) of the District Headquarters whose services will be utilized during the workshop, an incentive of Rs 450/- to Class III employees and Rs. 250/- to Class IV Employees shall be provided.
9. Judicial Officers at regional headquarters or from other places, whose services are utilized as Guest Faculty for the purpose of workshop, shall be paid honorarium as per High Court Order dated 26-08-2016.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,  
A. K. SRIVASTAVA, PRINCIPAL REGISTRAR  
(ILR & EXAM).

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2017

क्र. 355-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तंभ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तंभ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तंभ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यापीठ जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2017

क्र. B-1437-एक-7-3-16 भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी-4309-एक-7-3-2016 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 02 नवम्बर 2016 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-224-एक-7-3-2016, भाग-1 जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर तथा उनकी रजिस्ट्री एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में होली के दूसरे दिन (भाईदूज) मंगलवार दिनांक 14 मार्च, 2017 का अवकाश घोषित किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्र. C-788-एक-7-3-16 भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-224-एक-7-3-2016, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2017 हेतु घोषित द्वितीय शनिवार अवकाश दिवस के स्थान पर तृतीय शनिवार को अवकाश दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर एवं परीक्षा).

जबलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. E-1485-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्री राजीव शर्मा, सेवानिवृत्त ओ.एस.डी. (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 210 दिवस (दो सौ दस दिवस मात्र)के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012 / नियम / चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री राजीव शर्मा, : 28-03-1983  
सेवानिवृत्त ओ. एस.डी.  
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश),  
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर  
का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016
3. नियुक्ति दिनांक 28-03-1983 : 03 वर्ष 11 माह  
से दिनांक 09-03-87 तक 11 दिन.  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 08 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 20 दिन.  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : 3×15=45 दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 15 दिन  
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 30=15×15=225 दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 270 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 60 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 210 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर दिनांक 22 फरवरी 2017

क्र. E-1560-दो-2-9-2017.—श्री देवनारायण पाटिल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 16 से 18 फरवरी 2017 तक तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवनारायण पाटिल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।



प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवनारायण पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1562-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक, पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 17 फरवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. E-1564-दो-2-109-2006.—श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 20 से 23 फरवरी 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1566-दो-2-46/2010—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-1568-दो-2-36-2014.—श्री महेश भदकारिया, जिला

एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश भदकारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश भदकारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1570-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 15 से 18 मार्च 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 से 14 मार्च 2017 तक के सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016

क्र. 1190-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कंडिका (2) की सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तंभ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश

की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मोहित दीवान	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:—

- (1) आदेश क्रमांक 1125-गोपनीय-2016, दिनांक 08 नवम्बर 2016, जहाँ तक इसका संबंध श्री मोहित दीवान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर, का, जबलपुर से अनूपपुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.
- (2) श्री मोहित दीवान की "षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के पद पर पदस्थापना केवल दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये की गयी है, अतः "General Transferr Exercise-2017" की कार्यवाही के अंतर्गत स्थानांतरण हेतु उनके नाम पर विचार किया जावेगा, यदि वे आवश्यक समझें को अपना स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन, "स्थानांतरण नीति" के अनुरूप, निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकते हैं.

क्र. 1194-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छिन्दवाड़ा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री प्रभात कुमार मिश्रा को छिन्दवाड़ा सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. 359-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-तीन-2002, 14 जनवरी 2005, 04-नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक-I-1-2002-इक्कीस-ब-(एक)-5181, दिनांक 7 जनवरी, 2017 एवं आदेश फा क्रमांक-I-1-2002-इक्कीस-ब-(एक)-939, दिनांक 25 फरवरी, 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तंभ (3) में वर्णित 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तंभ (4) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्था करता है:—

सारणी

क्र.	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	28-02-2019	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद की हैसियत से श्री एम. पी. अवस्थी, के स्थान पर दिनांक 20-03-2017 से. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) संभालेंगे एवं इस हेतु 15 दिनों के लिए श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
2.	श्री राज कुमार भावे, विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act, शाजापुर.	08-02-2019	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री श्याम सुन्दर गर्ग, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	19-01-2019	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

**टिप्पणी:—**1. उपरोक्त सेवानिवृत्त हो चुके एवं होने जा रहे न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

क्र. 360-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12) .— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हेतु, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तंभ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तंभ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच.	नीमच	शाजापुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

**टिप्पणी:—**1. श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का, नीमच से शाजापुर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

2. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 955, 956-गोपनीय-2016, दिनांक 20-09-2016 के तारतम्य में, श्रृंखला कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन-शाजापुर, एतद्द्वारा समाप्त (delink) की जाती है.

क्र. 361-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12) .— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय एवं अवधि के लिये, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है:—

#### सारणी

क्रमांक (1)	पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	श्रृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर) वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, नीमच में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2017

क्र. 372-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाम-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री भरत सिंह औहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम को, उनके कार्य के अतिरिक्त, रतलाम जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है. —

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री भरत सिंह औहरिया को रतलाम सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री भरत सिंह औहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्र. 373-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, शाजापुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा को शाजापुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्र. 374-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार को, उनके कार्य के अतिरिक्त, धार जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, को धार सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्र. 378-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद को, उनके कार्य के अतिरिक्त, होशंगाबाद जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, को होशंगाबाद सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

जबलपुर, दिनांक 02 मार्च, 2017

क्र. 382-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 31 जनवरी 2017, 6/7 फरवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

## सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री अनुप्रिया पाराशर (मेरिट क्रमांक 26).	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के अष्टम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	सुश्री स्मिता स्वर्णकार (मेरिट क्रमांक 28).	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3.	सुश्री बबीता प्रजापत (मेरिट क्रमांक 39).	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4.	सुश्री सोनम शर्मा (मेरिट क्रमांक 46).	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5.	श्री रावेन्द्र कुमार सोनी (मेरिट क्रमांक 48).	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

क्र. 385-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमशः फा. क्रमांक 3(ए) 4055-21-ब(एक), दिनांक 07 फरवरी 2017 एवं आदेश पृष्ठांकन क्रमशः फा. क्रमांक 3(ए) 4052-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 फरवरी 2017, द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तंभ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:—

## सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के सन्दर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री उत्सव चतुर्वेदी (मेरिट क्रमांक 06)	जबलपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री जसवंत सिंह यादव (मेरिट क्रमांक 10)	मुरैना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च, 2017

क्र. 390-गोपनीय-2017-दो-3-250/57-(भाग-35).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के

आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3/2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 06 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तंभ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती ज्योति सिंह, टेकाम (मेरिट क्रमांक 87)	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	सुश्री भानू पंडवार, (मेरिट क्रमांक 95)	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च 2017

क्र. 399-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी, के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(ए) 4060-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 07 फरवरी 2017 एवं आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(ए) 4053-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24-02-2017 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तंभ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के सन्दर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संदीप शर्मा (मेरिट क्रमांक 01)	भोपाल	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री मुकेश कुमार (मेरिट क्रमांक 08)	सागर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. 357-गोपनीय-2017-दो-3-27-2017.— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी रश्मिना परवेज मंसूरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, आलोट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आलोट, जिला रतलाम का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन 'श्रीमती रश्मिना' पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.